

GOVT DIGVIJAY AUTONOMOUS PG COLLEGE RAJNANDGAON(CG)



स्थपना वर्ष 1957

Report of Administrative setup, service rule and policy



Principal

Govt. Digvijay Auto. PG College,
Rajnandgaon, CG

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के समद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 16]

रायपुर, बुधवार, दिनांक 16 जनवरी 2019 — पौष 26, शक 1940

उच्च शिक्षा विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर, रायपुर

अटल नगर, दिनांक 16 जनवरी 2019

अधिसूचना

क्रमांक एफ 1-12/2013/38-1. — भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल, एतद्वारा, छत्तीसगढ़ उच्च शिक्षा विभाग (महाविद्यालयीन शाखा, राजपत्रित) सेवा के संबंध में निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

नियम

- संक्षिप्त नाम, विस्तार तथा प्रारंभ.** - (1) ये नियम छत्तीसगढ़ शैक्षणिक सेवा (महाविद्यालयीन शाखा, राजपत्रित) भर्ती नियम, 2019 कहलायेंगे।
(2) ये नियम राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।
- परिभाषाएं.** - इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-
(क) सेवा के संबंध में “नियुक्ति प्राधिकारी” से अभिप्रेत है छत्तीसगढ़ शासन;
(ख) “आयोग” से अभिप्रेत है छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग;
(ग) “समिति” से अभिप्रेत है चयन समिति या विभागीय पदोन्नति समिति, जैसा कि अनुसूची-चार में विनिर्दिष्ट है;
(घ) “परीक्षा” से अभिप्रेत है इन नियमों के नियम 11 के अधीन आयोजित प्रतियोगी परीक्षा;
(ङ) “शासन” से अभिप्रेत है छत्तीसगढ़ शासन;
(च) “राज्यपाल” से अभिप्रेत है छत्तीसगढ़ के राज्यपाल;
(छ) “अन्य पिछड़े वर्ग” से अभिप्रेत है राज्य शासन द्वारा समय-समय पर यथा संशोधित अधिसूचना क्रमांक एफ-8-5/पच्चीस/4/84, दिनांक 26 दिसम्बर, 1984 द्वारा यथा विनिर्दिष्ट नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्ग;

- (ज) "अनुसूची" से अभिप्रेत है इन नियमों से संलग्न अनुसूची;
- (झ) "अनुसूचित जाति" से अभिप्रेत है भारत के संविधान के अनुच्छेद 341 के अधीन इस राज्य के संबंध में यथा विनिर्दिष्ट अनुसूचित जाति;
- (ञ) "अनुसूचित जनजाति" से अभिप्रेत है भारत के संविधान के अनुच्छेद 342 के अधीन इस राज्य के संबंध में यथा विनिर्दिष्ट अनुसूचित जनजाति;
- (ट) "सेवा" से अभिप्रेत है छत्तीसगढ़ शैक्षणिक सेवा (महाविद्यालयीन शाखा, राजपत्रित);
- (ठ) "राज्य" से अभिप्रेत है छत्तीसगढ़ राज्य।
- (ड) दिव्यांगजन से अभिप्रेत है,—
- (1) ऐसा व्यक्ति, जो दृष्टिहीन हैं, यदि वह निम्नलिखित दशाओं में से किसी एक से ग्रस्त हो :—
 - (एक) दृष्टि का पूर्णतः अभाव हो;
 - (दो) बेहतर आंख में परिष्कृति लेंस से दृष्टिगत तीक्ष्णता 6/60 या 20/200 (सैलन) से अधिक न हो, या
 - (तीन) सामने की दूर दृष्टि का क्षेत्र 20 अंश के कोण तक सीमित हो या उससे कम हो।
 - (2) ऐसा व्यक्ति जो बहरा हो, यदि उसमें दैनिक प्रयोजन के लिये अपेक्षित श्रवण संवेदना का अभाव हो, यहां तक कि वह विस्तारित आवाज को भी बिल्कुल सुन या समझ नहीं सकते। ऐसे व्यक्ति इस प्रवर्ग में शामिल होंगे, जिनमें सुनने का ह्यास बेहतर कान में 80 डेसिबल से अधिक (अधिकतम कमी) हो या दोनो कानों में सुनने का पूरा ह्यास हो।
 - (3) उन व्यक्तियों को शारीरिक अशक्तता से ग्रसित समझा जायेगा, जिनमें ऐसा कोई शारीरिक दोष या विकृति हो, जिससे शरीर में हड्डियों, मांस पेशियों या जोड़ों की सामान्य क्रियाशीलता में बाधा पहुंचती हो।
- (ढ) "नेट" से अभिप्रेत है यूजीसी/सीएसआईआर द्वारा संचालित राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा;

- (ण) "सेट/स्लेट" से अभिप्रेत है राज्य पात्रता परीक्षा, जिसे छत्तीसगढ़ राज्य द्वारा संचालित अथवा 02.06.2002 को या उसके पूर्व किसी अन्य राज्य द्वारा संचालित सेट/स्लेट परीक्षा।
3. विस्तार तथा लागू होना.— छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 में अंतर्विष्ट उपबंधों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ये नियम सेवा के प्रत्येक सदस्य पर लागू होंगे।
4. सेवा का गठन.— सेवा में निम्नलिखित व्यक्ति सम्मिलित होंगे, अर्थात्:—
- (1) वे व्यक्ति, जो इन नियमों के प्रारंभ होने के समय, अनुसूची-एक में विनिर्दिष्ट पदों को मूल रूप से या स्थानापन्न हैसियत से धारण कर रहे हों;
 - (2) वे व्यक्ति, जो इन नियमों के प्रारंभ होने के पूर्व सेवा में भर्ती किये गये हों; और
 - (3) वे व्यक्ति, जो इन नियमों के उपबंधों के अनुसार सेवा में भर्ती किए गये हों।
5. वर्गीकरण तथा वेतनमान इत्यादि.— सेवा का वर्गीकरण, सेवा में सम्मिलित पदों की संख्या और उससे संलग्न वेतनमान, अनुसूची-एक में अंतर्विष्ट प्रावधानों के अनुसार होंगे:
- परन्तु शासन, सेवा में सम्मिलित पदों की संख्या तथा वेतनमान में, समय-समय पर, या तो स्थायी या अस्थायी आधार पर, वृद्धि या कमी कर सकेगा।
6. भर्ती का तरीका.— (1) इन नियमों के प्रारंभ होने के पश्चात्, सेवा में भर्ती निम्नलिखित तरीकों से की जाएगी, अर्थात्:—
- (क) घयन (प्रतियोगी परीक्षा एवं साक्षात्कार) के माध्यम से, सीधी भर्ती द्वारा;
 - (ख) सेवा के सदस्यों की पदोन्नति द्वारा;
 - (ग) ऐसे व्यक्तियों के स्थानांतरण/प्रतिनियुक्ति द्वारा, जो ऐसी सेवाओं में ऐसे पदों को मूल हैसियत में धारण करते हों, जैसा कि इस निमित्त विनिर्दिष्ट किया जाये; और

- (घ) शासन द्वारा किसी महाविद्यालय को लिए जाने के पश्चात्, नियम 17 में विहित प्रक्रिया के अनुसार आमेलन द्वारा ।
- (2) उप-नियम (1) के खण्ड (क), (ख) या (ग) के अधीन भर्ती किये गये व्यक्तियों की संख्या, अनुसूची-एक में यथा विनिर्दिष्ट कर्तव्य पदों की संख्या के, अनुसूची-दो में विनिर्दिष्ट प्रतिशत से किसी भी समय अधिक नहीं होगी ।
- (3) इन नियमों के उपबंधों के अधीन रहते हुए, भर्ती की किसी विशिष्ट कालावधि के दौरान भरे जाने के लिए अपेक्षित सेवा में किसी विशिष्ट रिक्ति या रिक्तियों को, भरे जाने के प्रयोजन के लिये अपनायी जाने वाली भर्ती का तरीका या तरीके तथा ऐसे तरीके द्वारा भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों की संख्या, प्रत्येक अवसर पर शासन द्वारा आयोग के परामर्श से अवधारित की जाएगी ।
- (4) उप-नियम (1) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, यदि शासन की राय में, सेवा की अत्यावश्यकताओं को देखते हुए ऐसा करना अपेक्षित हो, तो शासन, आयोग से परामर्श पश्चात्, सेवा में भर्ती के उन तरीकों को छोड़ जिनको उक्त उप-नियम में विनिर्दिष्ट किया गया है, ऐसे तरीके अपना सकेगा, जिसे वह इस निमित्त जारी किए गये आदेश द्वारा विहित करे ।
- (5) सेवा में भर्ती के समय, छत्तीसगढ़ लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) अधिनियम, 1994 (क्र. 21 सन् 1994) के प्रावधान तथा उक्त अधिनियम के अधीन शासन के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय-समय पर जारी निर्देश लागू होंगे ।
7. सेवा में नियुक्ति.— इन नियमों के प्रारंभ होने के पश्चात्, सेवा में समस्त नियुक्तियां, शासन द्वारा की जायेंगी और ऐसी कोई भी नियुक्ति, नियम 6 में विनिर्दिष्ट भर्ती के किसी एक तरीके द्वारा चयन करने के पश्चात् ही की जाएगी, अन्यथा नहीं ।
8. सीधी भर्ती के लिये पात्रता की शर्तें.— सीधी भर्ती/चयन हेतु पात्र होने के लिए, अभ्यर्थी को निम्नलिखित शर्तें पूरी करनी होंगी, अर्थात्:—

- (एक) आयु— (क) वर्ष, जिसमें पद हेतु विज्ञापन प्रकाशित होता है, की जनवरी के प्रथम दिन को अभ्यर्थी ने अनुसूची-तीन के कॉलम (3) में यथा विनिर्दिष्ट आयु पूरी कर ली हो तथा उक्त अनुसूची के कॉलम (4) में यथा विनिर्दिष्ट आयु पूरी न की हो;
- (ख) यदि अभ्यर्थी अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों (गैर-क्रीमी-लेयर) का हो, तो उच्चतर आयु सीमा अधिकतम 5 वर्ष तक शिथिलनीय होगी;
- (ग) छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (महिलाओं की नियुक्ति के लिये विशेष उपबंध) नियम, 1997 के उपबंधों के अनुसार, महिला अभ्यर्थियों के लिए भी, उच्चतर आयु सीमा अधिकतम 10 वर्ष तक शिथिलनीय होगी;
- (घ) उन अभ्यर्थियों के संबंध में भी, जो छत्तीसगढ़ शासन के कर्मचारी हों अथवा रह चुके हों, नीचे विनिर्दिष्ट की गई सीमा तथा शर्तों के अधीन रहते हुए उच्चतर आयु सीमा शिथिलनीय होगी:—
- (एक) ऐसा अभ्यर्थी, जो स्थायी या अस्थायी शासकीय सेवक हो, 38 वर्ष से अधिक आयु का नहीं होना चाहिये;
- (दो) ऐसा अभ्यर्थी, जो अस्थायी रूप से पद धारण कर रहा हो तथा किसी अन्य पद के लिये आवेदन कर रहा हो, 38 वर्ष से अधिक आयु का नहीं होना चाहिए। यह रियायत, आकस्मिकता निधि से वेतन प्राप्त करने वाले कर्मचारियों, कार्यभारित कर्मचारियों तथा परियोजना कार्यान्वयन समितियों में कार्यरत कर्मचारियों को भी अनुज्ञेय होगी।
- (तीन) ऐसा अभ्यर्थी, जो "छंटनी किया गया शासकीय सेवक" हो, उसे अपनी आयु में से उसके द्वारा पूर्व में की गयी संपूर्ण अस्थायी सेवा की अधिकतम 7 वर्ष तक की कालावधि, भले ही वह कालावधि एक से अधिक बार की गयी सेवाओं का योग हो, कम करने के लिये अनुज्ञात किया जाएगा, परन्तु

इसके परिणामस्वरूप जो आयु निकले, वह उच्चतर आयु सीमा से तीन वर्ष से अधिक न हो।

स्पष्टीकरण- शब्द "छंटनी किये गये शासकीय सेवक" से द्योतक है, ऐसा व्यक्ति जो इस राज्य की या किन्हीं भी संघटक इकाइयों की अस्थायी शासकीय सेवा में कम से कम छः माह की कालावधि तक निरंतर रहा हो और जिसे रोजगार कार्यालय में अपना पंजीयन कराने या शासकीय सेवा में नियोजन हेतु अन्यथा आवेदन करने की तारीख से तीन वर्ष पूर्व स्थापना में कमी किये जाने के कारण सेवोन्मुक्त किया गया हो।

(ड.) ऐसा अभ्यर्थी, जो "भूतपूर्व सैनिक" हो, उसे अपनी आयु में से उसके द्वारा पूर्व में की गई समस्त प्रतिरक्षा सेवा की कालावधि कम करने के लिये अनुज्ञात किया जायेगा, परन्तु इसके परिणामस्वरूप जो आयु निकले, वह उच्चतर आयु सीमा से तीन वर्ष से अधिक न हो।

स्पष्टीकरण- शब्द "भूतपूर्व सैनिक" से द्योतक है, ऐसा व्यक्ति, जो निम्नलिखित प्रवर्गों में से किसी एक प्रवर्ग का हो तथा जो भारत सरकार के अधीन कम से कम 6 माह की कालावधि तक निरंतर नियोजित रहा हो तथा जिसकी किसी रोजगार कार्यालय में अपना पंजीयन कराने अथवा शासकीय सेवा में नियोजन हेतु अन्यथा आवेदन करने की तारीख से अधिक से अधिक तीन वर्ष पूर्व मितव्ययिता इकाई की सिफारिशों के परिणामस्वरूप अथवा स्थापना में सामान्य रूप से कमी किये जाने के कारण छंटनी की गई हो अथवा जिसे अधिशेष (सरप्लस) घोषित किया गया हो, अर्थात्:-

(एक) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिन्हें समय पूर्व सेवानिवृत्ति रियायतों (मस्टरिंग आऊट कन्सेशन) के अधीन निर्मुक्त कर दिया गया हो;

(दो) ऐसे भूतपूर्व सैनिक जिन्हें दुबारा नामांकित किया गया हो, और जिन्हें-

(क) अल्पकालीन वचनबंध अवधि पूर्ण हो जाने पर;

- (ख) नामांकन की शर्तें पूर्ण हो जाने पर, सेवोन्मुक्त कर दिया गया हो;
- (तीन) ऐसे भूतपूर्व सैनिक (सैनिक तथा असैनिक) जिन्हें उनकी संविदा पूरी होने पर सेवोन्मुक्त किया गया हो, (जिनमें अल्पावधि सेवा के नियमित कमीशन प्राप्त अधिकारी भी सम्मिलित हैं);
- (चार) ऐसे भूतपूर्व सैनिक/अधिकारी जिन्हें अवकाश रिक्तियों पर छः माह से अधिक समय तक निरंतर कार्य करने के पश्चात् सेवोन्मुक्त किया गया हो;
- (पांच) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिन्हें अशक्त होने के कारण सेवा से अलग किया गया हो;
- (छः) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिन्हें इस आधार पर सेवोन्मुक्त किया गया हो कि वे अब दक्ष सैनिक बनने योग्य नहीं हैं;
- (सात) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिन्हें गोली लग जाने, घाव आदि हो जाने के कारण चिकित्सीय आधार पर सेवा से अलग कर दिया गया हो।
- (च) अस्पृश्यता निवारण नियम, 1984 के अधीन अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के अन्तर्गत पुरस्कृत दम्पतियों के सवर्ण पति/पत्नी के संबंध में उच्चतर आयु सीमा 5 वर्ष तक शिथिलनीय होगी।
- (छ) शहीद राजीव पांडे सम्मान, गुण्डाधूर सम्मान, महाराजा प्रवीरचंद भंजदेव सम्मान प्राप्त अभ्यर्थियों तथा राष्ट्रीय युवा पुरस्कार प्राप्त युवा अभ्यर्थियों के संबंध में भी उच्चतर आयु सीमा 5 वर्ष तक शिथिलनीय होगी।
- (ज) ऐसे अभ्यर्थियों के संबंध में, जो छत्तीसगढ़ राज्य निगम/मण्डल के कर्मचारी हैं, उच्चतर आयु सीमा 38 वर्ष की आयु तक शिथिलनीय होगी।
- (झ) स्वयंसेवी नगर सैनिकों तथा नगर सेना के नॉन कमीशंड अधिकारियों के मामले में, उनके द्वारा इस प्रकार की गई नगर सेना सेवा की कालावधि के लिये, उच्चतर आयु सीमा में, 8 वर्ष की सीमा के अध्यक्षीन रहते हुए

छूट दी जायेगी, किन्तु किसी भी दशा में उनकी आयु 38 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।

(ज) सहायक प्राध्यापक/ग्रंथपाल/कीड़ाधिकारी के पद में भर्ती के लिये शासकीय सेवा में प्रवेश करने हेतु उपरोक्त किसी एक या एक से अधिक संवर्गों के आधार पर छूट प्रदान करने के उपरांत अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

(ट) उपरोक्त के अतिरिक्त, आयु सीमा के संबंध में, शासन के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय-समय पर जारी निर्देश भी लागू होंगे।

टीप—(1) ऐसे अभ्यर्थी, जिन्हें नियम 8 के खण्ड (एक) के उप-खण्ड (घ) के पैरा (एक) एवं (दो) में उल्लिखित आयु संबंधी रियायतों के अधीन परीक्षा/चयन में प्रवेश दिया गया हो, यदि वे आवेदन प्रस्तुत करने के पश्चात्, या तो परीक्षा/चयन के पूर्व या उसके पश्चात् सेवा से त्यागपत्र दे देते हैं, तो वे नियुक्ति हेतु पात्र नहीं होंगे। तथापि, यदि आवेदन पत्र भेजने के पश्चात् सेवा या पद से उनकी छंटनी कर दी जाती हो, तो वे पात्र बने रहेंगे।

(2) किसी भी अन्य मामले में ये आयु सीमाएं शिथिल नहीं की जायेंगी। विभागीय अभ्यर्थियों को चयन हेतु उपस्थित होने के लिए, नियुक्ति प्राधिकारी की पूर्व अनुमति अभिप्राप्त करनी होगी।

(दो) **शैक्षणिक अर्हताएं** — अभ्यर्थी के पास सेवा के लिये यथा विहित शैक्षणिक अर्हताएं होना चाहिए, जैसा कि अनुसूची-तीन में दर्शित है:

परन्तु —

(1) आपवादिक मामलों में, आयोग, शासन की सिफारिश पर, किसी ऐसे अभ्यर्थी को अर्ह मान सकेगा, जो यद्यपि इस खंड में विहित की गई अर्हताओं में से कोई अर्हता न रखता हो, किन्तु जिसने अन्य संस्थाओं द्वारा संचालित परीक्षा ऐसे स्तर से उत्तीर्ण की हो, जिसके कारण आयोग अभ्यर्थी का परीक्षा/चयन में सम्मिलित किया जाना न्यायोचित ठहराता हो; और,

(2) ऐसे अभ्यर्थियों को, जो अन्यथा अर्ह हो, किन्तु जिन्होंने विदेशी विश्वविद्यालयों से, जो ऐसे विश्वविद्यालय है, जिन्हें सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट रूप से मान्यता प्रदान नहीं की गई हैं, आयोग के विवेकानुसार परीक्षा/चयन हेतु शामिल किये जाने के लिये विचार किया जा सकेगा।

(तीन) फीस:— (क) अभ्यर्थी को आयोग द्वारा यथा विहित फीस का भुगतान करना होगा।

(ख) उन अभ्यर्थियों को, जिन्हें चिकित्सा मंडल के समक्ष उपस्थित होने के लिए अपेक्षित किया गया हो, चिकित्सीय परीक्षा के पूर्व चिकित्सा मंडल के अध्यक्ष को ऐसी फीस का भुगतान करना होगा, जैसा कि शासन द्वारा विहित की जाए।

9. निरर्हता.— (1) अभ्यर्थी की ओर से अपनी अभ्यर्थिता के लिये किन्हीं भी साधनों से, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर पर, समर्थन अभिप्राप्त करने के किसी भी प्रयास को, आयोग द्वारा परीक्षा/चयन हेतु शामिल होने के लिये निरर्हित माना जायेगा।

(2) कोई भी पुरुष अभ्यर्थी, जिसकी एक से अधिक पत्नियां जीवित हों और कोई भी महिला अभ्यर्थी, जिसने ऐसे पुरुष से विवाह किया हो, जिसकी पहले ही एक पत्नी जीवित हो, किसी सेवा या पद में नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा:

परन्तु यदि शासन का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा करने के विशेष कारण हैं, तो शासन, ऐसे अभ्यर्थियों को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगा।

(3) कोई भी अभ्यर्थी, किसी सेवा या पद पर तब तक नियुक्त नहीं किया जाएगा जब तक कि उसे ऐसी स्वास्थ्य परीक्षा में, जो विहित की जाए, मानसिक या शारीरिक रूप से स्वस्थ, तथा किसी मानसिक या शारीरिक दोष जो किसी सेवा या पद के कर्तव्य को पूरा करने में बाधा डाल सकता हो से मुक्त, घोषित न कर दिया जाये:

परन्तु आपवादिक मामलों में अभ्यर्थी को उसकी स्वास्थ्य परीक्षा के पूर्व किसी सेवा या पद पर इस शर्त के अधीन अस्थायी नियुक्ति दी जा सकेगी कि

यदि वह चिकित्सीय रूप से अस्वस्थ पाया जाता है, तो उसकी सेवाएं तत्काल समाप्त की जा सकेंगी।

(4) कोई भी अभ्यर्थी, किसी सेवा या पद के लिए उस स्थिति में पात्र नहीं होगा, यदि नियुक्ति प्राधिकारी का, ऐसी सम्यक् जांच, जैसा कि वह आवश्यक समझे, कें पश्चात, यह समाधान हो जाये कि वह (अभ्यर्थी) ऐसी सेवा या पद के लिए उपयुक्त नहीं है।

(5) कोई भी अभ्यर्थी, जिसे नैतिक अधोपतन से संबंधित किसी अपराध के लिये सिद्धदोष ठहराया गया हो, किसी सेवा या पद के लिए पात्र नहीं होगा:

परन्तु यदि किसी अभ्यर्थी के विरुद्ध न्यायालय में ऐसे मामले लंबित हों, तो उसकी नियुक्ति का मामला तब तक लंबित रखा जायेगा, जब तक कि उस अपराधिक मामले का न्यायालय द्वारा अंतिम विनिश्चय न कर दिया जाए।

(6) कोई भी अभ्यर्थी, जिसने विवाह के लिए नियत की गई न्यूनतम आयु से पूर्व विवाह कर लिया हो, किसी सेवा या पद के लिए पात्र नहीं होगा।

10. अभ्यर्थियों की पात्रता के बारे में आयोग का विनिश्चय अंतिम होगा.— (1) चयन हेतु अभ्यर्थी की पात्रता या अन्यथा के संबंध में, आयोग का विनिश्चय अंतिम होगा और किसी भी अभ्यर्थी को, जिसे परीक्षा/साक्षात्कार हेतु आयोग द्वारा प्रवेश प्रमाणपत्र जारी नहीं किया गया है, परीक्षा/साक्षात्कार में उपस्थित होने की अनुमति नहीं दी जायेगी।

(2) चयन प्रक्रिया के किसी समय पर अथवा शासन को चयन सूची भेजने के बाद भी, यदि आयोग के संज्ञान में यह तथ्य आता है कि अभ्यर्थी ने असत्य जानकारी दी है अथवा उसके द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों में कोई विसंगति पायी गई है, तो वह निरर्हित हो जायेगा एवं उसका चयन/नियुक्ति, आयोग द्वारा समाप्त कर दी जायेगी।

11. चयन (प्रतियोगी परीक्षा एवं साक्षात्कार) के माध्यम से सीधी भर्ती.— (1) सेवा में भर्ती के लिये चयन ऐसे अंतरालों पर आयोजित की जायेगी, जैसा कि शासन, आयोग के परामर्श से, समय-समय पर अवधारित करे।

- (2) प्रतियोगी परीक्षा, ऐसे पाठ्यक्रम, परीक्षा योजना तथा निर्देशों के अनुसार आयोग द्वारा आयोजित की जायेगी, जैसा कि शासन द्वारा आयोग के परामर्श से समय-समय पर जारी किया जाये। आयोग, यदि उचित समझे, शासन के परामर्श से इस सेवा या किसी अन्य सेवा में भर्ती के लिये संयुक्त परीक्षा आयोजित करेगा।
- (3) सेवा में अभ्यर्थियों का चयन ऐसी रीति से की जायेगी, जैसा कि आयोग द्वारा अवधारित किया जाये।
- (4) सेवा में भर्ती के समय छत्तीसगढ़ लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 (क्रमांक 21 सन् 1994) के उपबंध तथा शासन के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा इस अधिनियम के अधीन समय-समय पर जारी निर्देश लागू होंगे।
- (5) छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (महिलाओं की नियुक्ति के लिए विशेष उपबंध) नियम, 1997 के उपबंधों के अनुसार, महिला अभ्यर्थियों के लिये 30 प्रतिशत पदों को आरक्षित रखा जायेगा। यह आरक्षण समस्तर और प्रभागवार होगा। उक्त उपबंध के अध्याधीन रहते हुये नियुक्तियों में विधवा अथवा तलाकशुदा महिला को अधिमान दिया जायेगा।
- (6) उपरोक्त के अतिरिक्त दिव्यांगजन/भूतपूर्व सैनिकों के लिये पदों को, शासन द्वारा समय-समय पर बनाये गये अधिनियम/नियम/जारी किये गये आदेश/निर्देश के अनुसार आरक्षित रखा जायेगा।
- (7) इस प्रकार आरक्षित रिक्तियों को भरते समय, ऐसे अभ्यर्थियों, जो अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों (गैर-क्रीमी-लेयर) के सदस्य हैं, की नियुक्ति के लिए उसी क्रम में विचार किया जायेगा, जिस क्रम में उनके नाम नियम 12 में निर्दिष्ट सूची में आये हों, चाहे अन्य अभ्यर्थियों की तुलना में उनका सापेक्षिक रैंक कुछ भी क्यों न हो।
- (8) उपरोक्त के अतिरिक्त, अभ्यर्थी, जो महिला/दिव्यांगजन/भूतपूर्व सैनिक हैं और जिनका आरक्षण के फलस्वरूप चयन किया गया है, की नियुक्ति के लिए उसी क्रम में विचार किया जायेगा, जिस क्रम में उनके नाम नियम 12 में निर्दिष्ट सूची में आये हों, चाहे अन्य अभ्यर्थियों की तुलना में उनका सापेक्षिक रैंक कुछ भी क्यों न हो।

(9) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों (गैर-क्रीमी-लेयर) से संबंधित उन अभ्यर्थियों, जिन्हें उनकी प्रशासनिक दक्षता को ध्यान में रखते हुए आयोग द्वारा नियुक्ति के लिये पात्र घोषित किया गया हो, को उप-नियम (7) के अनुसार, यथास्थिति, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों (गैर-क्रीमी-लेयर) के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित रिक्तियों पर नियुक्त किया जा सकेगा।

(10) ऐसे मामलों में, जहाँ सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने वाले पदों के लिये कुछ कालावधि का अनुभव आवश्यक शर्त के रूप में विहित किया गया है और शासन की राय में यह पाया जाता है कि अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों (गैर-क्रीमी-लेयर) से संबंधित अभ्यर्थियों की पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है, तो शासन, आयोग से परामर्श पश्चात्, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों (गैर-क्रीमी-लेयर) के अभ्यर्थियों के संबंध में अनुभव की शर्त को शिथिल कर सकेगा।

12. आयोग द्वारा अनुशंसित अभ्यर्थियों की सूची.— (1) आयोग, उन अभ्यर्थियों की योग्यता के क्रम में व्यवस्थित एक सूची, जो ऐसे स्तर से अर्हित हों जैसा कि आयोग द्वारा अवधारित किया जाये तथा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों (गैर-क्रीमी-लेयर) से संबंधित उन अभ्यर्थियों की एक सूची, जो यद्यपि उस स्तर से अर्हित नहीं है, किन्तु प्रशासन में दक्षता बनाये रखने का सम्यक् ध्यान रखते हुए सेवा में नियुक्ति के लिए आयोग द्वारा उपयुक्त घोषित किये गये हों एवं प्रत्येक प्रवर्ग के अन्तर्गत ऐसे अभ्यर्थियों की, जो महिला/दिव्यांगजन/भूतपूर्व सैनिक के प्रवर्ग में आरक्षण के फलस्वरूप चयनित किये जायें, उनके मेरिट क्रम से सूची तैयार करेगा तथा शासन को अग्रेषित करेगा, जिसकी नियुक्ति हेतु वैधता, शासन को सूची के भेजे जाने की तिथि से एक वर्ष की होगी।

(2) उप-नियम (1) के अधीन इस प्रकार तैयार की गई सूची, सर्वसाधारण की जानकारी के लिये आयोग की वेबसाइट पर अधिसूचित की जायेगी।

- (3) आयोग द्वारा रिक्त पदों को भरने के लिये प्रत्येक प्रवर्ग हेतु एक चयन सूची तैयार की जायेगी, ऐसे प्रवर्गों के लिये एक प्रतीक्षा सूची भी तैयार की जायेगी, जिसमें न्यूनतम एक नाम तथा रिक्त पदों के अधिकतम 25 प्रतिशत तक नाम सम्मिलित होंगे। सूची की वैधता, ऐसी चयन सूची के जारी होने की तिथि से डेढ़ वर्ष की होगी।

स्पष्टीकरण- प्रत्येक प्रवर्ग में रिक्त पदों की 25 प्रतिशत तक आंकलन करने के लिए, इसे पूर्णांक में लाने हेतु, अंक को अगले पूर्णांक तक बढ़ा दिया जायेगा।

- (4) आयोग, उप-नियम (1) एवं (3) के अधीन तैयार की गई चयन सूची, शासन को नियुक्ति के संबंध में अग्रिम कार्यवाही हेतु अग्रेषित करेगा। तथापि, प्रतीक्षा सूची से नियुक्ति, आयोग की सहमति के बिना नहीं की जा सकेगी।
- (5) इन नियमों तथा छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 के उपबंधों के अधीन रहते हुए, उपलब्ध रिक्तियों पर अभ्यर्थियों की नियुक्ति के लिये उसी क्रम में विचार किया जायेगा जिस क्रम में उनके नाम सूची में आये हों।
- (6) सूची में किसी अभ्यर्थी का नाम सम्मिलित किये जाने से ही उसे नियुक्ति के लिये कोई अधिकार तब तक प्राप्त नहीं होता, जब तक कि शासन का ऐसी जांच करने के पश्चात्, जैसा कि वह आवश्यक समझे, यह समाधान न हो जाये कि अभ्यर्थी सेवा में नियुक्ति के लिये सभी प्रकार से उपयुक्त है।
- (7) कोई अभ्यर्थी, जिसका नाम चयन सूची में सम्मिलित है, वैधता अवधि में कार्यभार ग्रहण न करने या त्यागपत्र देने या किन्हीं कारणों से वह अयोग्य पाये जाने पर या वैधता अवधि के दौरान चयनित अभ्यर्थी की मृत्यु हो जाने पर, आयोग द्वारा प्रतीक्षा सूची से अभ्यर्थियों के नाम नियुक्ति हेतु अनुशंसित किये जा सकेंगे।
- (8) यदि प्रतीक्षा सूची से अभ्यर्थियों के नाम भेजे जाने के लिये शासन से अनुरोध प्राप्त होता है तो आयोग, उपर्युक्त प्रावधानों के अनुसार, प्रतीक्षा सूची से नाम, अनुशंसित करेगा तथा इसे शासन को भेजेगा।

- (9) शासन से प्रस्ताव प्राप्त होने के पश्चात् आयोग, शासन को विधिमान्य कारणों का कथन करते हुए अधिकतम 6 माह के लिये चयन सूची की वैधता अवधि में वृद्धि कर सकेगा।
- (10) चयन सूची की वैधता अवधि में 6 माह की वृद्धि किए जाने पर, प्रतीक्षा सूची की वैधता अवधि में 6 माह की स्वतः वृद्धि होना माना जायेगा।
- (11) उप-नियम (9) एवं (10) के अधीन तैयार की गई चयन सूची की वैधता में, आयोग द्वारा तब तक कोई वृद्धि नहीं की जायेगी, जब तक कि शासन, युक्तियुक्त कारण का कथन करते हुए वृद्धि करने हेतु कोई अनुशंसा नहीं करता।
13. पदोन्नति द्वारा नियुक्ति.— (1) पात्र अभ्यर्थियों की पदोन्नति हेतु प्रारंभिक चयन करने के लिए, एक समिति गठित की जाएगी, जिसमें अनुसूची-चार में उल्लिखित सदस्य सम्मिलित होंगे:
- परन्तु इस उप-नियम के अधीन, समिति के गठन के लिए, छत्तीसगढ़ लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 (क्र. 21 सन् 1994) की धारा 8 के उपबंधों का भी अनुसरण किया जाएगा।
- (2) समिति की बैठक ऐसे अन्तरालों में होगी, जो साधारणतः एक वर्ष से अधिक न हो।
- (3) प्रत्येक पदोन्नति, छत्तीसगढ़ लोक सेवा (पदोन्नति) नियम, 2003 के उपबंधों तथा मॉडल रोस्टर के अनुसार होगी।
- (4) आरक्षित रिक्तियों में पदोन्नति करने हेतु प्रक्रिया, उप-नियम (3) तथा शासन के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों के अनुसार होगी।
- (5) नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा प्रमाणन— नियुक्ति प्राधिकारी, अपने द्वारा जारी किए जाने वाले पदोन्नति आदेश पर, इस आशय के प्रमाणपत्र का पृष्ठांकन करेगा कि उसने छत्तीसगढ़ लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) अधिनियम, 1994 (क्र. 21 सन्

1994) तथा छत्तीसगढ़ लोक सेवा (पदोन्नति) नियम, 2003 के उपबंधों तथा उक्त अधिनियम के उपबंधों के प्रकाश में जारी निर्देशों तथा राज्य शासन द्वारा बनाये गये नियमों का पालन किया है तथा उसने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उप-धारा (1) के उपबंधों का पूर्ण संज्ञान लिया है।

14. पदोन्नति के लिये पात्रता की शर्तें.— (1) उप-नियम (2) के उपबंधों के अध्यक्षीन रहते हुए समिति, उन समस्त व्यक्तियों के मामलों पर विचार करेगी, जिन्होंने उस वर्ष की जनवरी के प्रथम दिन को, उन पदों में, जिनसे पदोन्नति की जानी है जैसा कि अनुसूची-चार के कॉलम (2) में विनिर्दिष्ट है अथवा शासन द्वारा उसके समतुल्य घोषित किन्हीं अन्य पद या पदों पर (चाहे मूल रूप में या स्थानापन्न रूप में), उतने वर्षों की सेवा, जैसा कि अनुसूची-चार के कॉलम (4) में विनिर्दिष्ट है, पूर्ण कर ली हो तथा जो उप-नियम (2) के उपबंधों के अनुसार विचारण क्षेत्र के भीतर आते हों।

स्पष्टीकरण— पदोन्नति के लिए पात्रता हेतु संगणना की रीति— संबंधित वर्ष, जिसमें विभागीय पदोन्नति समिति/छानबीन समिति आहूत की जाती है, की प्रथम जनवरी को अर्हकारी सेवा की कालावधि की गणना, उस कैलेण्डर वर्ष से की जाएगी, जिसमें लोक सेवक, फीडर संवर्ग/सेवा के भाग/पद के वेतनमान में आया हो और संवर्ग/सेवा के भाग/पद के वेतनमान में आने की तारीख से नहीं।

- (2) (एक) ऐसे मामलों में जहां पदोन्नति वरिष्ठता सह उपयुक्तता (सीनियारिटी कम फिटनेस) के आधार पर या अनुपयुक्त व्यक्ति को छोड़कर वरिष्ठता के आधार पर की जानी हो, वहां सभी वर्गों के लिए विचारण हेतु कोई आधार नहीं होगा। केवल लोक सेवकों की ऐसी संख्या के प्रस्तावों पर वरिष्ठता के अनुसार विचार किया जायेगा, जो की प्रत्येक प्रवर्ग में विद्यमान तथा एक वर्ष के दौरान सेवानिवृत्ति/पदोन्नति के कारण होने वाली प्रत्याशित रिक्त पदों की संख्या को भरने के लिए पर्याप्त होगी।

- (दो) ऐसे मामलों में जहां पदोन्नति योग्यता सह वरिष्ठता (मेरिट कम सीनियारिटी) आधार पर की जानी हो वहां विचारण क्षेत्र, कुल रिक्त

पदों के दो गुने से चार अधिक होगा। यदि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के शासकीय सेवक पदोन्नति के लिए पर्याप्त संख्या में उपलब्ध न हों, तो विचारण क्षेत्र में कुल रिक्त पदों के 7 गुने तक वृद्धि की जा सकेगी तथा आरक्षित पदों की पूर्ति, उपरोक्त उल्लिखित विचारण क्षेत्र में आये आरक्षित वर्ग के व्यक्तियों से की जा सकेगी। समिति, उक्त विचारण क्षेत्र से प्रत्येक प्रवर्ग के अधीन विद्यमान तथा 1 वर्ष के दौरान सेवानिवृत्त तथा पदोन्नति के कारण प्रत्याशित रिक्तियों को भरने के लिए विचार करेगी।

- (3) उप-नियम (2) के अधीन प्रत्याशित रिक्तियों के अतिरिक्त उपरोक्त अवधि के दौरान होने वाली अप्रत्याशित रिक्तियों को भरने के लिए, दो लोक सेवकों के या चयन सूची में सम्मिलित लोक सेवकों की संख्या के 25 प्रतिशत, जो भी अधिक हो, के नाम चयन सूची में सम्मिलित करने के प्रयोजन से प्रत्येक प्रवर्ग के लिए अपेक्षित संख्या में लोक सेवकों के नाम पर विचार किया जायेगा।
- (4) शासन द्वारा विहित आरक्षण रॉस्टर के अनुसार पदोन्नति की जायेगी।
- (5) छत्तीसगढ़ लोक सेवा (पदोन्नति) नियम, 2003 के प्रावधान तथा सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेश पदोन्नति हेतु लागू होंगे।

15. उपयुक्त अभ्यर्थियों की सूची तैयार करना.— (1) समिति, ऐसे व्यक्तियों की एक सूची तैयार करेगी, जो उपर्युक्त नियम 13 एवं 14 में विहित शर्तों को पूरी करते हों तथा जिन्हें समिति द्वारा सेवा में पदोन्नति के लिये उपयुक्त समझा गया हो। यह सूची, चयन सूची के तैयार किये जाने की तारीख से एक वर्ष की कालावधि के दौरान सेवानिवृत्ति तथा पदोन्नति के कारण होने वाली प्रत्याशित रिक्तियों को भरने के लिये पर्याप्त होगी। इसके अतिरिक्त उक्त अवधि के दौरान होने वाले अप्रत्याशित रिक्तियों को भरने के लिये एक आरक्षित सूची तैयार की जायेगी, जिसमें प्रत्येक प्रवर्ग से 1 एवं न्यूनतम 25 प्रतिशत तक नाम सम्मिलित होंगे।

- (2) उपयुक्त अधिकारियों की सूची, छत्तीसगढ़ लोक सेवा (पदोन्नति) नियम, 2003 के प्रावधानों के अनुसार तैयार की जायेगी।
- (3) इस प्रकार तैयार की गई सूची का प्रतिवर्ष पुनर्विलोकन तथा पुनरीक्षण किया जायेगा।
- (4) यदि चयन, पुनर्विलोकन अथवा पुनरीक्षण में, सेवा के किसी सदस्य का अवक्रमण किया जाना प्रस्तावित है, तो यथास्थिति, समिति, प्रस्तावित अवक्रमण के संबंध में अपने कारणों को लेखबद्ध करेगा।
16. **आयोग से परामर्श.**— (1) नियम 15 के अनुसार तैयार की गई सूची, शासन द्वारा निम्नलिखित दस्तावेजों के साथ आयोग को भेजी जायेगी:—
- (एक) सूची में सम्मिलित समस्त व्यक्तियों के अभिलेख।
- (दो) अनुसूची-चार के कॉलम (2) में उल्लिखित समस्त ऐसे सदस्यों के अभिलेख, जिसका सूची में यथा अनुशंसित अवक्रमण किया जाना प्रस्तावित है।
- (तीन) अनुसूची-चार के कॉलम (2) में यथा उल्लिखित सेवा के किसी सदस्य के प्रस्तावित अवक्रमण के लिए समिति के लेखबद्ध कारण।
- (चार) समिति की अनुशंसाओं पर शासन की टिप्पणियां।
- (2) यदि पदोन्नति समिति में आयोग का अध्यक्ष या कोई सदस्य, जो अध्यक्ष/आयोग द्वारा नामांकित किया गया हो, उपस्थित रहे हों तथा यदि बैठक की कार्यवाही विवरण पर, अध्यक्ष सहित समिति के सभी सदस्यों के हस्ताक्षर हों तो उप-नियम (1) के अधीन उपर्युक्त कार्यवाही अपेक्षित नहीं होगी तथा यह माना जायेगा कि संविधान के अनुच्छेद 320 के खण्ड (3) के उप-खण्ड (ख) के अधीन आयोग से परामर्श करने संबंधी अपेक्षा का अनुपालन किया गया है तथा आयोग के साथ पृथक परामर्श करने की आवश्यकता नहीं होगी।
17. **आमेलन द्वारा भर्ती.**— (1) शासन द्वारा, कार्यभार ग्रहण किये गए अशासकीय महाविद्यालयों के प्राचार्य, प्राध्यापक, सह प्राध्यापक, सहायक प्राध्यापक, ग्रंथपाल और क्रीडाधिकारी का आमेलन, छानबीन समिति द्वारा प्रत्येक प्रकरण का परीक्षण

करने के उपरांत, की गई उनकी अनुशंसा पर किया जाएगा। समिति में निम्नलिखित सदस्य शामिल होंगे :-

- (एक) अध्यक्ष, लोक सेवा आयोग या अध्यक्ष द्वारा नामनिर्दिष्ट आयोग का कोई सदस्य;
- (दो) प्रमुख सचिव/सचिव, उच्च शिक्षा, छत्तीसगढ़ शासन;
- (तीन) आयुक्त, उच्च शिक्षा, छत्तीसगढ़ शासन;
- (चार) सरकारी स्नातकोत्तर महाविद्यालयों के दो प्राचार्य, जिन्हें शासन द्वारा नामनिर्दिष्ट किये जाएंगे;
- (पांच) यदि उपरोक्त (एक) से (चार) तक में अजा/अजजा वर्ग का कोई सदस्य न हो, तो इस प्रवर्ग से न्यूनतम एक सदस्य, शासन द्वारा नामांकित किया जायेगा।

(2) छानबीन समिति, समुचित पदों पर आमेलन के लिए उसे निर्दिष्ट मामलों के बारे में निम्नलिखित आधारों पर सिफारिश करेगी :-

- (एक) वे समस्त व्यक्ति, जिन्हें छत्तीसगढ़ उच्च शिक्षा अनुदान आयोग के प्रारंभ के पूर्व, शासन द्वारा कार्य-भार ग्रहण किए गए निजी महाविद्यालयों में संबंधित विश्वविद्यालय की महाविद्यालयीन संहिता में दिए गए उपबंधों के अनुसार नियमित नियुक्ति के रूप में भर्ती किया गया था;
- (दो) छत्तीसगढ़ शैक्षणिक सेवा (महाविद्यालयीन शाखा) भर्ती नियम, 1967 एवं छत्तीसगढ़ शैक्षणिक सेवा (महाविद्यालय शाखा) भर्ती नियम, 1990 के प्रारंभ होने के पश्चात्, भर्ती किया गया ऐसा कोई व्यक्ति, जो उक्त नियमों में विहित न्यूनतम अपेक्षाओं की पूर्ति नहीं करता है, आमेलित नहीं किया जाएगा;
- (तीन) किसी व्यक्ति को आमेलित नहीं किया जाएगा, यदि उसे पूर्व में किसी भी समय शासकीय या किसी अन्य सेवा में साबित हुए अवचार और/या दण्डक अपराध के कारण हटाया गया हो या पदच्युत किया गया हो;
- (चार) किसी व्यक्ति को शासकीय सेवा में आमेलित नहीं किया जाएगा, यदि उसने आमेलन के समय प्रवृत्त शासकीय नियमों के अनुसार अधिवार्षिकी आयु प्राप्त कर ली हो;

- (पांच) किसी व्यक्ति को, जो राज्य सरकार द्वारा, कार्यभार ग्रहण किए गए किसी अशासकीय महाविद्यालय में रजिस्ट्रार या ग्रंथपाल या क्रीडाधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया हो या उस रूप में पद धारण कर रहा हो, तब तक शासकीय सेवा में आमेलित नहीं किया जाएगा, जब तक कि नियुक्ति के समय ऐसा व्यक्ति न्यूनतम अपेक्षाओं की पूर्ति न करता हो या ऐसी अर्हताएं धारण न करता हो, जो राज्य शासन द्वारा लिखित आदेश द्वारा अधिकथित की जाए;
- (छ:) किसी व्यक्ति को शासकीय सेवा में आमेलित नहीं किया जाएगा, जिसकी नियुक्ति को, यथास्थिति, छत्तीसगढ़ उच्च शिक्षा अनुदान आयोग या विश्वविद्यालय द्वारा नियमित नियुक्ति के रूप में अनुमोदित नहीं की गई है।
- (3) (एक) किसी व्यक्ति को शासकीय सेवा में उस पद से उच्च पद पर आमेलित नहीं किया जाएगा, जिस पर कि वह शासन द्वारा महाविद्यालय के कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व कर कार्य रहा था;
- (दो) स्नातक महाविद्यालय के प्राचार्य के रूप में आमेलन किये जाने के लिए, किसी ऐसे व्यक्ति को, जो शासन द्वारा कार्यभार ग्रहण किये गए किसी महाविद्यालय में प्राचार्य के रूप में कार्य कर रहा है, इस नियम में विहित अन्य शर्तों के अतिरिक्त, यह आवश्यक है कि उसे न्यूनतम 14 वर्ष का अध्यापन का अनुभव हो जिसमें से तीन वर्ष का अध्यापन का अनुभव स्नातकोत्तर कक्षाओं के अध्यापन का हो और दो वर्ष का अध्यापन का अनुभव प्राध्यापक के रूप में हो, स्नातकोत्तर महाविद्यालय के प्राचार्य पद पर आमेलन के लिए, उपरोक्त के अतिरिक्त, दो वर्ष का स्नातक महाविद्यालय में प्राचार्य के रूप में कार्य करने का अनुभव होना आवश्यक होगा।
- (4) इस नियम के सुसंगत उपबंधों पर विचार करने के पश्चात्, छानबीन समिति, शासन को उपयुक्त सिफारिश करेगी। समिति की सिफारिश किए जाने के पश्चात्, शासन द्वारा संबंधित व्यक्ति के आमेलन आदेश, समिति की सिफारिश के अनुसार जारी की जाएगी।

- (5) किसी विशिष्ट पद पर आमेलित व्यक्ति की वरिष्ठता, उस महाविद्यालय के अधिग्रहण तिथि से होगी।
- (6) किसी अशासकीय महाविद्यालय में कार्य करने वाले किसी व्यक्ति द्वारा शासकीय सेवा में उसके आमेलन पर कोई अवकाश अग्रणित किया जाना अनुज्ञात नहीं किया जाएगा। तथापि, अशासकीय महाविद्यालय में की गई सेवा के संबंध में यदि ऐसा व्यक्ति अवकाश वेतन अभिदाय का भुगतान करता है तो उसे इस प्रकार अर्जित अवकाश को अग्रणित करने हेतु छत्तीसगढ़ अवकाश नियम में विहित निर्बंधनों तथा अधिकतम सीमाओं के अधीन रहते हुए अनुज्ञात किया जाएगा।
- (7) इस नियम के उपबंधों के अनुसार शासकीय सेवा में आमेलित कोई व्यक्ति, इस तथ्य के आधार पर कि अशासकीय महाविद्यालय द्वारा पूर्व में ही सेवा से उसे स्थायी किया जा चुका था, अधिकार के तौर पर यह दावा नहीं कर सकेगा कि उसे शासकीय सेवा में स्थायी किया जाए, ऐसे व्यक्ति का स्थायीकरण समय-समय पर प्रवृत्त शासकीय नियमों के अनुसार किया जाएगा।
- (8) इन नियमों के उपबंधों के बारे में यही और सदैव यही समझा जाएगा कि वे 1 जनवरी 1971 से प्रवृत्त हुए हैं।
- (9) शासन द्वारा, कार्यभार ग्रहण किए गए अशासकीय महाविद्यालयों के प्राचार्य, प्राध्यापक, सहायक प्राध्यापक, ग्रंथपाल तथा कीडाधिकारी, जिसकी नियुक्ति, यथास्थिति, छत्तीसगढ़ उच्च शिक्षा अनुदान आयोग या विश्वविद्यालय द्वारा नियमित नियुक्ति के रूप में अनुमोदित की गई थी, किन्तु जिन्हें छानबीन समिति द्वारा किसी भी कारण से शासकीय सेवा में आमेलित किए जाने हेतु अग्रहीत (अस्वीकार) किया गया था उस पद पर जिसे वे धारित किये थे, तदर्थ और अस्थायी आधार पर समाप्त होने वाली कैंडर (डाइंग कैंडर) के रूप में बने रहेंगे, किन्तु उन्हें शासकीय सेवा में उस रूप में वरिष्ठता पदोन्नति, वार्षिक वेतन वृद्धि तथा वेतनमान पुनरीक्षण के लाभ प्राप्त नहीं होंगे।
18. **चयन सूची.**— (1) आयोग, शासन से प्राप्त दस्तावेजों के साथ-साथ समिति द्वारा तैयार की गई सूची पर विचार करेगा, यदि उसकी राय हो कि इसमें कोई परिवर्तन करना आवश्यक नहीं है तो वह सूची को अनुमोदित करेगा।

- (2) यदि आयोग, शासन से प्राप्त सूची में कोई परिवर्तन करना आवश्यक समझता है तो आयोग, प्रस्तावित परिवर्तनों के संबंध में शासन को सूचित करेगा तथा इस पर विचार करने के पश्चात यदि शासन कोई मत प्रकट करे तो ऐसे मत पर ध्यान देते हुए, ऐसे उपांतरणों सहित, यदि कोई हो, जो उसकी राय में न्यायोचित तथा उपयुक्त हो, सूची को अनुमोदित करेगा।
- (3) आयोग द्वारा अंतिम रूप से अनुमोदित सूची अनुसूची-चार के कॉलम (2) में उल्लिखित पदों से अनुसूची-चार के कॉलम (3) में यथा उल्लिखित पदों पर सिविल सेवाओं के सदस्यों की पदोन्नति के लिये अनुमोदित चयन सूची होगी।
- (4) चयन सूची सामान्यतः इसके तैयार किये जाने की तारीख से 31 दिसंबर तक विधिमान्य रहेगी :

परन्तु चयन सूची में सम्मिलित किसी व्यक्ति की ओर से आचरण या कर्तव्य के निर्वहन में गंभीर चूक होने की स्थिति में, शासन के अनुरोध पर, चयन सूची का विशेष रूप से पुनर्विलोकन किया जा सकेगा और आयोग, यदि वह उचित समझे, तो चयन सूची से ऐसे व्यक्ति का नाम हटा सकेगा।

19. चयन सूची से सेवा में नियुक्ति.— (एक) चयन सूची में सम्मिलित अधिकारियों की सेवा संवर्ग के पदों पर नियुक्ति में उसी क्रम का अनुपालन किया जायेगा, जिस क्रम में ऐसे अधिकारियों के नाम चयन सूची में आये हों।
- (दो) साधारणतः उस अधिकारी की, जिसका नाम सेवा की चयन सूची में सम्मिलित हो, नियुक्ति के पूर्व समिति से परामर्श करना तब तक आवश्यक नहीं होगा, जब तक कि चयन सूची में उसका नाम शामिल किये जाने तथा प्रस्तावित नियुक्ति की तारीख के बीच की कालावधि के दौरान उसके कार्य में ऐसी कोई गिरावट न आ जाये, जो शासन की राय में, सेवा में नियुक्ति के लिये उसे अनुपयुक्त सिद्ध करती हो।

20. **परिवीक्षा.**— (1) (क) सेवा में सीधी भर्ती किया गया प्रत्येक व्यक्ति, दो वर्ष की कालावधि के लिये परिवीक्षा पर नियुक्त किया जायेगा।
 (ख) परिवीक्षा की कालावधि के दौरान, यदि कार्य असंतोषजनक पाया जाता है, तो परिवीक्षा की अवधि अधिकतम 1 वर्ष तक की कालावधि के लिये नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा बढ़ायी जा सकेंगी।
 (ग) परिवीक्षा की अवधि या बढ़ायी गई कालावधि के दौरान या परिवीक्षा अवधि के अंत में, यदि नियुक्ति प्राधिकारी की राय हो कि कोई विशेष अभ्यर्थी, अधिकारी बनने के योग्य नहीं है, तो ऐसे परिवीक्षाधीन की सेवाएं समाप्त की जा सकेंगी।
 (2) सेवा में पदोन्नति से भर्ती किया गया प्रत्येक व्यक्ति, 2 वर्ष की कालावधि के लिये स्थानापन्न हैसियत से नियुक्त किया जायेगा।
21. **निर्वचन.**— यदि इन नियमों के निर्वचन के संबंध में कोई प्रश्न उद्भूत होता हो, तो उसे राज्य शासन को निर्दिष्ट किया जाएगा, जिस पर उसका निर्णय अंतिम होगा।
22. **शिथिलीकरण.**— इन नियमों में दी गई किसी भी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जायेगा कि वह किसी ऐसे व्यक्ति के मामले में, जिस पर ये नियम लागू होते हैं, ऐसी रीति से कार्यवाही करने की राज्यपाल की शक्ति को, जो उसे न्यायसंगत एवं उचित प्रतीत हो, सीमित या कम करती है:
 परंतु कोई मामला ऐसी रीति से नहीं निपटाया जाएगा, जो इन नियमों में उपबंधित रीति की अपेक्षा उसके लिये कम अनुकूल हो।
23. **निरसन एवं व्यावृत्ति.**— (1) इन नियमों के तत्स्थानी और इन नियमों के प्रारंभ होने के ठीक पूर्व प्रवृत्त समस्त नियम, इन नियमों के अंतर्गत आने वाले विषयों के संबंध में एतद्वारा निरसित किये जाते हैं:
 परंतु इस प्रकार निरसित नियमों के अधीन दिया गया कोई भी आदेश या की गई कार्रवाई, इन नियमों के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन दिया गया आदेश या की गई कार्रवाई समझी जायेगी।

(2) इन नियमों में दी गई कोई भी बात, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये राज्य शासन द्वारा समय-समय पर इस संबंध में जारी किये गये आदेशों के अनुसार उपबंधित अपेक्षित आरक्षण तथा अन्य शर्तों को प्रभावित नहीं करेगी।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुरेन्द्र कुमार जायसवाल, सचिव.

अनुसूची-एक
(नियम 4 एवं 5 देखिये)

स.क्र.	सेवा में सम्मिलित पदों का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	आयुक्त, उच्च शिक्षा	01	प्रथम श्रेणी	37,000-67,000 + ए.जी.पी. 10,000
2.	प्राचार्य - स्नातकोत्तर महाविद्यालय, अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा	58+8	प्रथम श्रेणी	37,400-67,000 + ए.जी.पी. 10,000 + विशेष वेतन 3000
3.	प्राचार्य, स्नातक महाविद्यालय, संयुक्त संचालक, उच्च शिक्षा तथा राज्य सम्पर्क अधिकारी (राष्ट्रीय सेवा योजना)	187+6	प्रथम श्रेणी	37,400-67,000 + ए.जी.पी. 10,000 + विशेष वेतन 2000
4.	प्राध्यापक एवं उपसंचालक, उच्च शिक्षा	592+6	प्रथम श्रेणी	37,400-67,000 + ए.जी.पी. 10,000
5.	पदोन्नत प्राध्यापक	संख्या निर्धारित नहीं	प्रथम श्रेणी	37,400-67,000 + ए.जी.पी. 10,000
6.	सह-प्राध्यापक	संख्या निर्धारित नहीं	प्रथम श्रेणी	37,400-67,000 + ए.जी.पी. 9,000

7.	(क) सहायक प्राध्यापक	3855	द्वितीय श्रेणी	15,600-39,100 + ए.जी.पी. 6,000
	(ख) सहायक प्राध्यापक (रु. 6000 से अधिक ए. जी.पी.)	-	प्रथम श्रेणी	15,600-39,100 + ए.जी.पी. 7,000 15,600-39,100 + ए.जी.पी. 8,000 37,400-67,000 + ए.जी.पी. 9,000
8.	(क) क्रीड़ा अधिकारी	116	द्वितीय श्रेणी	15,600-39,100 + ए.जी.पी. 6,000
	(ख) क्रीड़ा अधिकारी (रु. 6000 से अधिक ए.जी.पी.)	-	प्रथम श्रेणी	15,600-39,100 + ए.जी.पी. 7,000 15,600-39,100 + ए.जी.पी. 8,000 37,400-67,000 + ए.जी.पी. 9,000
9.	(क) ग्रंथपाल	125	द्वितीय श्रेणी	15,600-39,100 + ए.जी.पी. 6,000
	(ख) ग्रंथपाल (रु. 6000 से अधिक ए.जी.पी.)	-	प्रथम श्रेणी	15,600-39,100 + ए.जी.पी. 7,000 15,600-39,100 + ए.जी.पी. 8,000 37,400-67,000 + ए.जी.पी. 9,000

अनुसूची-दो (नियम 6 देखिये)

स.क	सेवा / पद का नाम	कर्तव्य पदों की संख्या	भरे जाने वाले पदों की संख्या का प्रतिशत			टिप्पणियां
			सीधी भर्ती द्वारा (नियम 6(1) (क) देखिये)	पदोन्नति द्वारा (नियम 6(1) (ख) देखिये)	अन्य सेवाओं से व्यक्ति के स्थानांतरण/ प्रतिनियुक्ति द्वारा (नियम 6(1) (ग) देखिये)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
छत्तीसगढ़ शैक्षणिक सेवा (महाविद्यालयीन शाखा राजपत्रित)						
1.	आयुक्त, उच्च शिक्षा	01	-	-	100%	भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिसमय वेतनमान के अधिकारी की प्रतिनियुक्ति से
2.	प्राचार्य, स्नातकोत्तर महाविद्यालय एवं अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा	58+8	-	100%	-	राज्य संपर्क अधिकारी, उपाधि प्राचार्य के काडर में से होगा जिसे राष्ट्रीय सेवा योजना का सात वर्ष के कार्य का अनुभव हो।
3.	प्राचार्य, स्नातक महाविद्यालय, संयुक्त संचालक, उच्च शिक्षा तथा राज्य संपर्क अधिकारी, राष्ट्रीय सेवा योजना	187+6	-	100 %	-	25 % सीधी भर्ती प्राध्यापक 75 % पदोन्नत प्राध्यापक
4.	प्राध्यापक और उप संचालक, उच्च शिक्षा	592	100 %	-	-	
5.	पदोन्नत प्राध्यापक	संख्या निर्धारित नहीं	-	100 %		ये पद विभागीय पदोन्नति समिति के माध्यम से भरे जायेंगे। पदोन्नत प्राध्यापकों के ऐसे पदों की कोई निर्धारित संख्या नहीं होगी और इन पदों की संख्या अपेक्षित ज्येष्ठता और अर्हता वाले सह-प्राध्यापकों की संख्या के आधार पर बदलती रहेगी। सह-प्राध्यापक की पदोन्नति अनुसूची चार में दर्जित उपबंधों के अधीन विहित सेवा कालावधि पूरी करने के परचात तथा उसमें विहित अर्हताएं की शर्तें पूर्ण करने पर सेवा अभिलेख के अनुसार की जायेगी।

6.	सह-प्राध्यापक	संख्या निर्धारित नहीं	--	100 %	-	ये पद विभागीय पदोन्नति समिति के माध्यम से भरे जायेंगे। सह-प्राध्यापकों के ऐसे पदों की कोई निर्धारित संख्या नहीं होगी और इन पदों की संख्या अपेक्षित ज्येष्ठता और अर्हता वाले सहायक प्राध्यापकों की संख्या के आधार पर बदलती रहेगी। सहायक प्राध्यापक के पद से पदोन्नति अनुसूची चार में वर्णित उपबंधों के अधीन विहित सेवा कालावधि पूरी करने के पश्चात् तथा उसमें विहित अर्हताएं रखने पर सेवा रिकार्ड के आधार पर की जायेगी।
7.	सहायक प्राध्यापक	3855	100 %	--	-	प्रतियोगी परीक्षा द्वारा, इसमें सफल अभ्यर्थियों का साक्षात्कार लिया जायेगा।
8.	क्रीडा अधिकारी	116	100 %	--	-	प्रतियोगी परीक्षा द्वारा, इसमें सफल अभ्यर्थियों का साक्षात्कार लिया जायेगा।
9.	ग्रंथपाल	125	98 %	2%	-	(1) प्रतियोगी परीक्षा द्वारा, इसमें सफल अभ्यर्थियों का साक्षात्कार लिया जायेगा। (2) केवल डाइंग केंद्र के सहायक ग्रंथपाल के लिये, इन अधिकारियों के पदोन्नति के पश्चात् भविष्य में ये पद पदोन्नति से नहीं भरे जायेंगे।

टीप:- अनुक्रमांक 7, 8 एवं 9 में उल्लेखित पदों की 7000, 8000 एवं 9000 एकेडमिक ग्रेड पे में स्थानन की प्रक्रिया, अनुसूची-चार में दी गई टिप्पणी के अनुसार होगी।

अनुसूची-तीन (नियम 8 देखिये)

स.क्र.	सेवा/पद का नाम	न्यूनतम आयु सीमा	उच्चतर आयु सीमा	विहित शैक्षणिक अर्हता
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	प्राध्यापक और उप संचालक, उच्च शिक्षा	31 वर्ष	45 वर्ष	<p>(क)</p> <p>(एक) प्रतिष्ठित विद्वान जिसकी पी.एच.डी. में अर्हता अपने संबंधित/सम्बद्ध/सुसंगत विषय में प्राप्त है, जिनकी प्रकाशित रचना उच्च कोटि की है, जो कि वर्तमान में शोध कार्य में सक्रिय है तथा जिसके प्रकाशित ग्रंथ का साक्ष्य विद्यमान है तथा न्यूनतम रूप से उनकी कम से कम 10 रचनाएँ, पुस्तकों एवं/अथवा शोध/विषय से जुड़ी नीति विषयक प्रपत्र के रूप में प्रकाशित हो।</p> <p>(दो) किसी भी विश्वविद्यालय/ महाविद्यालय में अध्यापन का दस वर्ष का न्यूनतम अनुभव हो, एवं/ अथवा विश्वविद्यालय/राष्ट्रीय स्तर के संस्थानों में/ उद्योगों में अनुभव हो; जिसमें पीएच.डी. स्तर पर कर रहे शोध छात्रों को दिशानिर्देश करने का अनुभव भी सम्मिलित हो।</p> <p>(तीन) शैक्षणिक नवोन्मेष, नवीन पाठ्यचर्या एवं पाठ्यक्रम तथा प्रौद्योगिकी-माध्ययुक्त अध्यापन प्रशिक्षण प्रक्रिया में विस्तार।</p> <p>(चार) न्यूनतम समेकित एपीआई स्कोर, जैसा कि प्रदर्शन आधारित मूल्यांकन प्रणाली (पीबीएस) के आधार पर शैक्षणिक निष्पादन सूचकांक (एपीआई) में निर्दिष्ट है, जिसे शासन द्वारा पृथक से अधिसूचना द्वारा जारी की जायेगी।</p> <p style="text-align: center;">अथवा</p> <p>ब. (ख) उत्कृष्ट व्यावसायिक व्यक्ति, जिसकी अपने सापेक्ष कार्य क्षेत्र में विद्यमान प्रतिष्ठा हो तथा जिसने संबंधित/सम्बद्ध/सुसंगत विषय के ज्ञान में महत्वपूर्ण योगदान किया हो तथा जिसका प्रमाणीकरण प्रत्यायकों द्वारा किया जाए।</p>
2.	सह: प्राध्यापक	29 वर्ष	43 वर्ष	<p>(एक) अच्छे शैक्षणिक रिकार्ड के साथ संबंधित विषय में पी. एच.डी. की उपाधि।</p> <p>(दो) किसी भी विश्वविद्यालय/ महाविद्यालय में अध्यापन का दस वर्ष का न्यूनतम अनुभव हो, एवं/ अथवा विश्वविद्यालय/राष्ट्रीय स्तर के संस्थानों में/ उद्योगों में अनुभव हो; जिसमें पीएच.डी. स्तर पर कर रहे शोध छात्रों को दिशानिर्देश करने का अनुभव भी सम्मिलित हो। कम से कम पांच रचनाएँ, पुस्तकों एवं/अथवा शोध/विषय से जुड़ी नीति विषयक प्रपत्र के रूप में प्रकाशित हो।</p> <p>(तीन) शैक्षणिक नवोन्मेष, नवीन पाठ्यचर्या एवं पाठ्यक्रम तथा प्रौद्योगिकी-माध्ययुक्त अध्यापन एवं प्रशिक्षण प्रक्रिया में विस्तार।</p>

				(घार) न्यूनतम समेकित एपीआई स्कोर, जैसा कि प्रदर्शन आधारित मूल्यांकन प्रणाली (पीबीएस) के आधार पर शैक्षणिक निष्पादन सूचकांक (ए.पी.आई.) में निर्दिष्ट है, जिसे शासन द्वारा पृथक से अधिसूचना द्वारा जारी की जायेगी ।
3.	सहायक प्राध्यापक	21 वर्ष	30 वर्ष	<p>(क) अच्छे शैक्षणिक रिकार्ड के साथ किसी भारतीय विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर उपाधि स्तर में संबंधित विषय में कम से कम 65% अंक (अथवा/एवं 7 बिन्दु ग्रेडिंग पद्धति में ग्रेड "बी") अथवा किसी मान्यता प्राप्त विदेशी विश्वविद्यालय से समकक्ष उपाधि ।</p> <p>(ख) उपरोक्त अर्हताओं की पूर्ति करने के बाद भी, अभ्यर्थी को यूजीसी, सीएसआईआर द्वारा संचालित राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा (नेट) अथवा यूजीसी द्वारा प्रत्यायित (मान्यता प्राप्त) समतुल्य परीक्षा जैसे कि स्लेट/सेट उत्तीर्ण करना होगा ।</p> <p>(ग) उप-खण्ड (क) तथा (ख) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, ऐसे अभ्यर्थी, जिनके पास विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (एम.फिल./पीएच.डी. प्रदान करने के लिए न्यूनतम मानक एवं प्रक्रिया) विनियम, 2009 के अनुसार पीएच.डी. उपाधि हो या जिन्हें प्रदान की गई हो, को सहायक प्राध्यापक या उसके समतुल्य पद में भर्ती तथा नियुक्ति के लिये नेट/स्लेट/सेट की न्यूनतम पात्रता शर्तों की अनिवार्यता से छूट रहेगी ।</p> <p>(घ) ऐसे विषयों में स्नातकोत्तर कार्यक्रम, जिसके लिये नेट/स्लेट /सेट परीक्षा आयोजित नहीं की जाती है, के लिये नेट/स्लेट/सेट की अनिवार्यता नहीं होगी ।</p>
4.	क्रीडा अधिकारी	21 वर्ष	30 वर्ष	<p>(क) कम से कम 65 प्रतिशत अंकों के साथ शारीरिक शिक्षा में स्नातकोत्तर डिग्री अथवा खेलकूद विज्ञान में स्नातकोत्तर डिग्री (अथवा समतुल्य डिग्री अथवा यूजीसी 7 पाइंट स्केल में श्रेणी "बी") तथा अच्छा शैक्षणिक रिकार्ड हो ।</p> <p>(ख) अन्तर-विश्वविद्यालय/अन्तर-महाविद्यालयीन प्रतियोगिता में विश्वविद्यालय/महाविद्यालय और/ या राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में राज्य का प्रतिनिधित्व का रिकार्ड हो ।</p> <p>(ग) राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा जो इस उद्देश्य से यू.जी.सी. द्वारा अथवा अन्य किसी अभिकरण द्वारा जो कि यू.जी.सी. द्वारा अनुमोदित हो, आयोजित की गई हो, में अर्ह हो ।</p> <p>(घ) इन नियमों के अनुसार संचालित शारीरिक क्षमता परीक्षा में उत्तीर्ण हो ।</p>
				(ज) तथापि, ऐसे अभ्यर्थी, जिनके पास विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (एम.फिल./पीएच.डी. प्रदान करने के लिए न्यूनतम मानक एवं प्रक्रिया) विनियम, 2009 के अनुसार पीएच.डी. उपाधि हो या प्रदान की गई हो, को खेल अधिकारी या उसके समतुल्य पद में भर्ती तथा नियुक्ति के लिए नेट/स्लेट/सेट की न्यूनतम पात्रता की शर्तों की अनिवार्यता से छूट रहेगी ।

				<p>(घ) शारीरिक दक्षता परीक्षा संबंधी मापदण्ड :-</p> <p>(एक) उपरोक्त प्राक्धानों के अध्यक्षीन, ऐसे समस्त अभ्यर्थी, जिनके लिये शारीरिक दक्षता परीक्षा में उपस्थित होना अनिवार्य होता है, के द्वारा ऐसे परीक्षाओं में उपस्थित होने से पूर्व ऐसी चिकित्सीय प्रमाणपत्र प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा जिसमें सत्यापित होगा कि वह चिकित्सीय रूप से स्वस्थ है।</p> <p>(दो) उपरोक्त उप-खण्ड (एक) के अंतर्गत ऐसे प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर, नीचे दिये गये मापदण्डों के अनुसार अभ्यर्थी द्वारा शारीरिक रक्षकता परीक्षा देना होगा: -</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <th colspan="4">पुरुषों के लिए मापदण्ड</th> </tr> <tr> <th colspan="4">12 मिनट की दौड़/चाल की परीक्षा</th> </tr> <tr> <td>30 वर्ष तक</td> <td>40 वर्ष तक</td> <td>45 वर्ष तक</td> <td>50 वर्ष तक</td> </tr> <tr> <td>1800 मीटर</td> <td>1500 मीटर</td> <td>1200 मीटर</td> <td>800 मीटर</td> </tr> </table> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <th colspan="4">महिलाओं के लिए मापदण्ड</th> </tr> <tr> <th colspan="4">8 मिनट की दौड़/चाल की परीक्षा</th> </tr> <tr> <td>30 वर्ष तक</td> <td>40 वर्ष तक</td> <td>45 वर्ष तक</td> <td>50 वर्ष तक</td> </tr> <tr> <td>1000 मीटर</td> <td>800 मीटर</td> <td>600 मीटर</td> <td>400 मीटर</td> </tr> </table>	पुरुषों के लिए मापदण्ड				12 मिनट की दौड़/चाल की परीक्षा				30 वर्ष तक	40 वर्ष तक	45 वर्ष तक	50 वर्ष तक	1800 मीटर	1500 मीटर	1200 मीटर	800 मीटर	महिलाओं के लिए मापदण्ड				8 मिनट की दौड़/चाल की परीक्षा				30 वर्ष तक	40 वर्ष तक	45 वर्ष तक	50 वर्ष तक	1000 मीटर	800 मीटर	600 मीटर	400 मीटर
पुरुषों के लिए मापदण्ड																																				
12 मिनट की दौड़/चाल की परीक्षा																																				
30 वर्ष तक	40 वर्ष तक	45 वर्ष तक	50 वर्ष तक																																	
1800 मीटर	1500 मीटर	1200 मीटर	800 मीटर																																	
महिलाओं के लिए मापदण्ड																																				
8 मिनट की दौड़/चाल की परीक्षा																																				
30 वर्ष तक	40 वर्ष तक	45 वर्ष तक	50 वर्ष तक																																	
1000 मीटर	800 मीटर	600 मीटर	400 मीटर																																	
				<p>टीप- कीड़ा अधिकारी के पद के लिये-</p> <p>(एक) लिखित परीक्षा एवं सक्षात्कार में अर्ह अभ्यर्थियों के लिये शारीरिक दक्षता परीक्षा, छत्तीसगढ़ शासन के उच्च शिक्षा विभाग द्वारा अनुमोदित/नामांकित विभाग या एजेन्सी द्वारा लिया जायेगा।</p> <p>(दो) शारीरिक दक्षता परीक्षा में अनर्ह अभ्यर्थी, घबन प्रक्रिया के लिये अपात्र होंगे।</p>																																
5.	ग्रथपाल	21 वर्ष	30 वर्ष	<p>(1) पुस्तकालय विज्ञान/सूचना विज्ञान/ डाकुमेंटेशन विज्ञान में कम से कम 55 प्रतिशत अंकों के साथ स्नातकोत्तर उपाधि अथवा ऐसी समतुल्य व्यावसायिक उपाधि (अथवा जहाँ प्रेडिंग पद्धति लागू है पाइन्ट स्केल में समतुल्य ग्रेड अथवा यूजीसी अथवा राज्य शासन द्वारा अधिसूचित समतुल्य व्यवसायिक उपाधि तथा पुस्तकालय के कम्प्यूटरीकरण का ज्ञान एवं अच्छा शैक्षणिक रिकार्ड हो।</p> <p>टीप -</p> <p>(1) अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/ दिव्यांग (शारीरिक एवं दृष्टिबाधित दिव्यांग)/ अन्य पिछड़ा वर्ग (मैर-श्रीमी-लेयर) से संबंधित अभ्यर्थियों के लिये स्नातक एवं स्नातकोत्तर स्तर पर 5 प्रतिशत की छूट की प्रदान की जायेगी. 55 या 50 प्रतिशत अंक को पूर्णांकित किया जाना स्वीकार्य नहीं होगा तथा विश्वविद्यालय द्वारा दिये गये कृपांक भी छूट हेतु स्वीकार्य नहीं किये जायेंगे।</p>																																

			<p>(2) यूजीसी अथवा यूजीसी द्वारा मान्यता प्राप्त किसी अन्य संस्था (एजेसी) द्वारा इस प्रयोजन हेतु संचालित राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा अथवा सेट/स्लेट परीक्षा पुस्तकालय विज्ञान में अर्ह हो।</p> <p>(3) तथापि, ऐसे अभ्यर्थी, जिनके पास विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (एम.फिल./पीएच.डी. प्रदान करने के लिए न्यूनतम मानक एवं प्रक्रिया) विनियम, 2009 के अनुसार पीएच.डी. उपाधि हो या प्रदान की गई हो, को ग्रंथपाल या उसके समतुल्य पद में भर्ती तथा नियुक्ति के लिए नेट/स्लेट/सेट की न्यूनतम पात्रता की शर्तों की अनिवार्यता से छूट रहेगी।</p> <p>टीप- सहायक प्राध्यापक/क्रीडाधिकारी/ग्रंथपाल के लिये :-</p> <p>(1) वे अभ्यर्थी, जो दिनांक 11 जुलाई, 2009 के पूर्व सहायक प्राध्यापक/क्रीडाधिकारी/ ग्रंथपाल पद के लिये एम.फिल./पीएच.डी. हेतु पाठ्यक्रमों के लिए पंजीकृत हैं, उपाधि प्रदान करने वाले संबंधित संस्थान के तत्कालीन अध्यादेश/उपविधि/विनियमों द्वारा शासित होंगे। पीएच.डी. उपाधि धारक अभ्यर्थियों को निम्नलिखित शर्तों के अधीन न्यूनतम पात्रता शर्तों से छूट प्राप्त होगी :</p> <p>(क) अभ्यर्थी को केवल नियमित पद्धति से पीएच.डी. उपाधि प्रदान की गई हो;</p> <p>(ख) कम से कम दो बाह्य परीक्षकों द्वारा शोध प्रबंध का मूल्यांकन किया गया हो;</p> <p>(ग) अभ्यर्थी ने अपने पीएच.डी. शोध कार्य में से दो शोध पत्र प्रकाशित किए हों (जिसमें से कम से कम एक पत्र संदर्भित जर्नल में प्रकाशित हुआ हो);</p> <p>(घ) अभ्यर्थी ने अपने पीएच.डी. शोध कार्य में से दो पेपर संगोष्ठियों/ सम्मेलनों में प्रस्तुत किए हों;</p> <p>(ङ) अभ्यर्थी का मौखिक साक्षात्कार संचालित किया गया हो।</p> <p>उपर्युक्त (क) से (ङ) को कुलपति/ प्रति-कुलपति/ संकाय अध्यक्ष (शैक्षणिक कार्य)/ संकाय अध्यक्ष (विश्वविद्यालय शिक्षण) द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिए।</p> <p>(2) अच्छे शैक्षणिक रिकार्ड से अभिप्रेत है: -</p> <p>(एक) स्नातक (अन्डर ग्रेजुएट)- न्यूनतम 50%</p> <p>(3) यूजीसी की परिवर्तन तालिका के अनुसार, प्रतिशत अंकों को निम्नानुसार परिवर्तित किया जायेगा:-</p> <table border="1" data-bbox="938 1721 1378 1991"> <thead> <tr> <th>श्रेणी</th> <th>श्रेणी बिन्दु (फाईट)</th> <th>समतुल्य प्रतिशत</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>'O'</td> <td>5.50 - 6.00</td> <td>75 - 100</td> </tr> <tr> <td>'A'</td> <td>4.50 - 5.49</td> <td>65 - 74</td> </tr> <tr> <td>'B'</td> <td>3.50 - 4.49</td> <td>55 - 64</td> </tr> <tr> <td>'C'</td> <td>2.50 - 3.49</td> <td>45 - 54</td> </tr> <tr> <td>'D'</td> <td>1.50 - 2.49</td> <td>35 - 44</td> </tr> <tr> <td>'E'</td> <td>0.50 - 1.49</td> <td>25 - 34</td> </tr> <tr> <td>'F'</td> <td>0.00 - 0.49</td> <td>00 - 24</td> </tr> </tbody> </table>	श्रेणी	श्रेणी बिन्दु (फाईट)	समतुल्य प्रतिशत	'O'	5.50 - 6.00	75 - 100	'A'	4.50 - 5.49	65 - 74	'B'	3.50 - 4.49	55 - 64	'C'	2.50 - 3.49	45 - 54	'D'	1.50 - 2.49	35 - 44	'E'	0.50 - 1.49	25 - 34	'F'	0.00 - 0.49	00 - 24
श्रेणी	श्रेणी बिन्दु (फाईट)	समतुल्य प्रतिशत																									
'O'	5.50 - 6.00	75 - 100																									
'A'	4.50 - 5.49	65 - 74																									
'B'	3.50 - 4.49	55 - 64																									
'C'	2.50 - 3.49	45 - 54																									
'D'	1.50 - 2.49	35 - 44																									
'E'	0.50 - 1.49	25 - 34																									
'F'	0.00 - 0.49	00 - 24																									

				<p>(4) (एक) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/दिव्यांगजन तथा दृष्टिहीन व्यक्ति/अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर-क्रीमी-लेयर) के संवर्ग के व्यक्तियों की शिक्षण संबंधी पदों पर सीधी भर्ती के दौरान उनके पात्रता एवं अच्छे शैक्षणिक रिकॉर्ड के निर्धारण के उद्देश्य से स्नातक स्तर पर तथा स्नातकोत्तर स्तर पर 5: की छूट प्रदान की जा सकेगी। पात्रता के लिए 55: अंक (अथवा जहां कहीं ग्रेडिंग प्रणाली का अनुसरण किया जा रहा है, वहां पर "पाइंट स्केल" की समकक्ष श्रेणी) तथा उपरोक्त उल्लिखित संवर्गों के लिये 5: की छूट, किसी अनुग्रह अंक के सम्मिलित करने की प्रक्रिया के बिना, केवल अर्हकारी अंकों पर आधारित रहेगी।</p> <p>(दो) ऐसे पीएच.डी. उपाधि धारक, जिन्होंने अपनी स्नातकोत्तर डिग्री 19 सितम्बर 1991 से पूर्व ही प्राप्त कर ली हो, के अंकों में 5: की छूट प्रदान की जायेगी जो कि 55: से 50: तक होगी।</p> <p>(तीन) जहां पर किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय द्वारा ग्रेडिंग प्रणाली का अनुसरण किया जा रहा हो, वहां संबंधित श्रेणी, जो 55: के यथा समतुल्य मानी गई हो, पात्रता समझी जायेगी।</p>
--	--	--	--	---

टिप्पणी :-

- (1) सभी प्रकार की छूट को सम्मिलित करने के पश्चात् "अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष" के संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्र. एफ 3-2/2002/1-3, रायपुर दिनांक 16.09.2008 के निर्बंधन, प्राध्यापकों एवं सह प्राध्यापकों के पद पर सीधी भर्ती के लिए लागू नहीं होंगे।
- (2) अनुसूची-तीन के कॉलम (5) के अंतर्गत प्राध्यापक/उप संचालक एवं सह प्राध्यापक, उच्च शिक्षा के पदों के लिए उच्चतर आयु सीमा निम्नानुसार होगी :-

स.क्र.	वर्ग	उच्चतर आयु सीमा	
		प्राध्यापक	सह प्राध्यापक
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	पुरुष (अनारक्षित)	45 वर्ष	43 वर्ष
2.	पुरुष (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/दिव्यांग)	50 वर्ष	48 वर्ष
3.	महिला (अनारक्षित)	55 वर्ष	53 वर्ष
4.	महिला (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/दिव्यांग)	60 वर्ष	58 वर्ष
5.	विधवा, परिव्रज्या, तलाकशुदा (आरक्षित/अनारक्षित प्रवर्ग)	60 वर्ष	58 वर्ष

(3) प्राध्यापकों एवं सह प्राध्यापकों के पद पर सीधी भर्ती के लिए, इन नियमों में विनिर्दिष्ट विभिन्न प्रकार की छूटों का लाभ लेने के पश्चात् उच्चतर आयु सीमा क्रमशः 60 वर्ष एवं 58 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

(4) ऐसे अभ्यर्थी जो छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय निवासी हैं के लिए, उच्चतर आयु सीमा, शासन के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों के अनुसार शिथिलनीय होगी।

अनुसूची-चार
(नियम 14 एवं 15 देखिये)

स.क्र.	पद का नाम जिससे पदोन्नति की जानी है	पद का नाम जिस पर पदोन्नति की जानी है	पदोन्नति के लिए सेवा अनुभव की न्यूनतम अवधि	चयन समिति/विभागीय पदोन्नति समिति के सदस्यों के नाम	टिप्पणी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
1.	प्राचार्य उपाधि महाविद्यालय, संयुक्त संचालक तथा राज्य संपर्क अधिकारी, राष्ट्रीय सेवा योजना	प्राचार्य, स्नातकोत्तर महाविद्यालय तथा अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा	स्नातकोत्तर महाविद्यालय के प्राचार्य के पद पर पदोन्नति, स्नातक महाविद्यालय के प्राचार्यों में से उन प्राचार्यों की, उपाधि महाविद्यालय स्वर्ग की संयुक्त ज्येष्ठता सूची के आधार पर की जायेगी, जिन्हें प्राचार्य के पद का कम से कम दो वर्ष का अनुभव हो। पदोन्नति, योग्यता-सह-ज्येष्ठता के आधार पर होगी। परन्तु अनुभव की शर्त उन व्यक्तियों पर लागू नहीं होगी जिनके नाम पर ज्येष्ठता होते हुए भी पूर्वतर पदोन्नतियों के समय विचार नहीं हो सका।	(1) लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष अथवा उसके द्वारा नाम निर्दिष्ट कोई सदस्य -अध्यक्ष (2) प्रमुख सचिव/सचिव, उच्च शिक्षा -सदस्य (3) आयुक्त, उच्च शिक्षा-सदस्य	
2.	प्राध्यापक/पदोन्नत प्राध्यापक तथा उप संचालक, उच्च शिक्षा	प्राचार्य स्नातक महाविद्यालय, संयुक्त संचालक, उच्च शिक्षा तथा राज्य संपर्क अधिकारी, राष्ट्रीय सेवा योजना	स्नातक महाविद्यालय के प्राचार्य के पद पर पदोन्नति, कम से कम दो वर्ष का अनुभव रखने वाले प्राध्यापकों में से योग्यता-सह-ज्येष्ठता के आधार पर की जायेगी। विभागीय पदोन्नति समिति, प्राचार्य के पद पर पदोन्नति के लिए सीधी भर्ती के प्राध्यापकों तथा पदोन्नत हुए प्राध्यापकों की ज्येष्ठता सूचियां अलग-अलग तैयार करेगी। इन सूचियों में से प्राचार्य के पद पर सीधी भर्ती के प्राध्यापकों का 25 प्रतिशत एवं पदोन्नत प्राध्यापकों का 75 प्रतिशत होगा। पदोन्नत प्राध्यापकों की ज्येष्ठता सूची उनके सहायक प्राध्यापक के पद पर वरिष्ठता के आधार पर बनाई जायेगी। सीधी भर्ती के प्राध्यापकों की ज्येष्ठता सूची लोक सेवा आयोग से जारी चयन सूची में दर्शाये गये ज्येष्ठता क्रम के आधार पर होगी।	तद्वै	
3.	सह-प्राध्यापक	पदोन्नत प्राध्यापक/उप संचालक	उन सह-प्राध्यापक को, 37,400-67,000 + ए.जी.पी. 10,000 के वेतनमान वाले प्राध्यापक के पद पर पदोन्नति की पात्रता होगी, जिन्होंने :-	तद्वै	

			<p>(क) सह प्राध्यापक के रूप में तीन वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो।</p> <p>(ख) न्यूनतम समेकित ए.पी.आई. स्कोर जैसा कि प्रदर्शन आधारित मूल्यांकन प्रणाली (पी.बी.ए.एस.) के आधार पर शैक्षणिक निष्पादन सूचकांक (ए.पी.आई.) में निर्दिष्ट है, जिसे कि शासन द्वारा पृथक से अधिसूचना द्वारा जारी की जायेगी।</p> <p>(ग) कार्य निष्पादन संबंधी विगत 05 वर्षों का मूल्यांकन रिपोर्ट निरंतर बहुत अच्छी हो।</p>		
4.	सहायक प्राध्यापक	सह-प्राध्यापक	<p>उन सहायक प्राध्यापक को, 37,400-67,000 + ए.जी.पी. 9,000 के वेतनमान वाले सह प्राध्यापक के पद पर पदोन्नति की पात्रता होगी, जिन्होंने-</p> <p>(क) सहायक प्राध्यापक के रूप में 08 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो।</p> <p>(ख) वेतनमान 37,400-67,000 + ए.जी.पी. 9,000 के वेतनमान में कम से कम 03 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो।</p> <p>(ग) न्यूनतम समेकित ए.पी.आई. स्कोर जैसा कि प्रदर्शन आधारित मूल्यांकन प्रणाली (पी.बी.ए.एस.) के आधार पर शैक्षणिक निष्पादन सूचकांक (ए.पी.आई.) में निर्दिष्ट है, जिसे कि शासन द्वारा पृथक से अधिसूचना द्वारा जारी की जायेगी।</p> <p>(घ) कार्य निष्पादन संबंधी विगत 05 वर्षों का मूल्यांकन रिपोर्ट निरंतर बहुत अच्छी हो।</p>	तद्वै	अनुभव एवं योग्यता, जो कि अनुसूची-चार के कॉलम (4) में उल्लेखित है, के आधार पर, सहायक प्राध्यापक की पदोन्नति सह-प्राध्यापक के पद में की जायेगी।

टिप्पणी :-

- (1) सहायक ग्रंथपाल के पद, डाइंग काडर के है तथा ये पद समाप्त होने वाले पद है। अतः उपर्युक्तानुसार, इन पदों पर कार्यरत व्यक्तियों की पदोन्नति के पश्चात्, भविष्य में ग्रंथपाल के पद पर पदोन्नतियां नहीं होगी।
- (2) सहायक प्राध्यापक, क्रीडा अधिकारी तथा ग्रंथपाल को ज्येष्ठ वेतनमान तथा प्रवरश्रेणी वेतनमान प्राप्त करने के लिये निम्नलिखित अर्हताएं पूर्ण करनी होगी :-
 - (क) ज्येष्ठ वेतनमान हेतु- सहायक प्राध्यापक/ग्रंथपाल/क्रीडा अधिकारी को, 15600-39100 के वेतनमान में ग्रेड वेतन 7000 के ज्येष्ठ वेतनमान में पदांकन किया जायेगा, यदि उसने :-
 - (एक) नियमित नियुक्ति के पश्चात् 6 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो। यदि वह पी.एचडी अथवा एम.फिल धारक हो तो सेवा काल क्रमशः 4 एवं 5 वर्ष पूर्ण कर ली हो;
 - (दो) यदि वे पी.एचडी धारक है तो एक ओरिएन्टेशन एवं अन्य के लिये एक ओरिएन्टेशन एवं एक रिफ्रेशर कार्स जो गुणवत्ता में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निर्दिष्ट मापदण्डों के समरूप हो,
 - (तीन) उसकी कार्य निष्पादन संबंधी मूल्यांकन रिपोर्ट निरंतर संतोषजनक हो।

- (ख) प्रवर श्रेणी वेतनमान हेतु— ज्येष्ठ वेतनमान में कार्यरत सहायक प्राध्यापक/ग्रंथपाल/क्रीड़ा अधिकारी, प्रवरश्रेणी के वेतनमान में रखे जाने हेतु पात्र होंगे, यदि उसने :-
- (एक) ज्येष्ठ वेतनमान में 5 वर्ष की सेवा अवधि पूर्ण कर ली हो, सहायक प्राध्यापक/ग्रंथपाल/क्रीड़ा अधिकारी के रूप में कम से कम 11 वर्ष, पी.एच.डी एवं एम.फिल धारक के लिये क्रमशः 9/10 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो;
- (दो) ज्येष्ठ वेतनमान में पदांकन के उपरांत दो रिफ्रेशर पाठ्यक्रम/ग्रीष्मकालीन संस्थाओं में जो प्रत्येक लगभग 4 सप्ताह की अवधि का हो, भाग लिया हो या वह विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप समुचित अवतरण शिक्षण कार्यक्रमों से जुड़ा रहा हो; और
- (तीन) उसकी कार्य निष्पादन संबंधी मूल्यांकन निरंतर अच्छी हो।
- (3) ज्येष्ठ वेतनमान तथा प्रवरश्रेणी वेतनमान में पदांकन के लिये छानबीन समिति में निम्नलिखित सदस्य होंगे :-
- | | | |
|--|---|--------|
| (एक) आयुक्त, उच्च शिक्षा या उसके द्वारा नाम निर्दिष्ट कोई भी अतिरिक्त संचालक | — | संयोजक |
| (दो) उप सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग | — | सदस्य |
| (तीन) शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय का प्राचार्य (आयुक्त, उच्च शिक्षा द्वारा नाम निर्दिष्ट) | — | सदस्य |
| (चार) उच्च शिक्षा से संबंधित एक शिक्षाविद | — | सदस्य |

छानबीन समिति, सूची में रखे जाने की उपयुक्तता अवधारित करने हेतु समय-समय पर शासन द्वारा जारी किये गये अनुदेशों के अनुसार छानबीन का कार्य संपादित करेगी।

नोट :- ज्येष्ठ एवं प्रवर श्रेणी वेतनमान हेतु यू.जी.सी. एवं शासन द्वारा समय-समय पर जारी निर्देश लागू होंगे।

अनुसूची-पांच
(नियम 17 (1) देखिये)
आवेदन का प्रपत्र
(सहायक प्राध्यापक / क्रीडा अधिकारी / ग्रंथपाल के पद हेतु)

फोटो
पासपोर्ट
साइज
(अनुप्रमाणित)

1. नाम तथा पता :
- विषय :
2. राज्य का नाम (जहां जन्म हुआ हो) :
3. जन्म तारीख (अंकों में) :
- (शब्दों में) :
4. पद के लिये विज्ञापन दिए जाने वाले वर्ष में 1 जनवरी को
आयु वर्ष माह दिन
5. शैक्षणिक अर्हताएं :-

मंडल / विश्वविद्यालय	वर्ष	श्रेणी	विषय	प्राप्तांक / पूर्णांक
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
(क) हायर सेकेंडरी				
(ख) स्नातक				
(ग) स्नातकोत्तर				

प्रत्येक के लिए अंकसूची की अनुप्रमाणित प्रति अपेक्षित है।

6. यदि एम.फिल / पी.एच.डी. उपाधि दी गई है, तो विषय का उल्लेख करें तथा प्रमाणपत्र प्रस्तुत करें :
7. यदि अभ्यर्थी अ.जा. / अ.ज.जा. प्रवर्ग का है तो अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के नाम का उल्लेख करें तथा सक्षम अधिकारी का प्रमाणपत्र संलग्न करें :
8. यदि अभ्यर्थी पूर्व से ही नियोजित हो तो अपना पदनाम, संस्था का नाम तथा विभाग का नाम दर्शित करें :
9. अन्य कोई जानकारी, जो अभ्यर्थी देने का इच्छुक हो :

तारीख.....
स्थान.....

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर


काग-वकीय विभाग, म. ए. ए. कॉलेज, रायपुर

दिनांक 4.2.2023

प्रमुख मागीरारी कार्यालय के लिये

आमंत्रित दिनांक 4.2.2023 को आमंत्रित
कार्यक्रम में प्रमुख की निवेदनानुसार, उपरोक्त कार्यलय कार्य मागीरारी
कार्यालय के लिये कार्यलय के लिये समय 11.00 बजे आमंत्रित
की जाए।

उक्त बैठक में निम्न सदस्यिकारी उपस्थित होंगे।


प्रमुख
प्रमुख मागीरारी कार्यालय

प्रमुख
कार्य निदेशक

1. काग-वकीय श्री कुलदीप शर्मा

2. " श्री ओ. हसन

3. " श्री महेन्द्र प्रसाद शर्मा

4. " श्री विवेक चंद्र

5. " श्री मनीषा शर्मा

6. " श्री मधुनाथ शर्मा

7. " श्री अरुण शर्मा

8. " श्री सुभाष शर्मा

9. " श्री मनीषा शर्मा

10. " श्री अरुण शर्मा

11. " श्री विवेक चंद्र

Principal
Govt. P. V. College
Raipur (C.G.)



12. मायगीत श्री मो. इशारेम (मुम्बा) मी० इवाडिम
13. " श्री अशोक चंपवेंशी अनुप
०५/२/२०२३
14. " श्री आमन उद्योगक अ
15. " श्री आमन सोनी
16. " श्री प्रदीप मेन
17. " श्री विठ्ठल रानी
18. " श्री विमल शर्मा
19. " श्री शक्ति सोलंकी
20. " श्री विक्रम अग्रवाल
21. " श्री विक्रम कडाकर
22. " श्री विष्णु आमभागी Sidhu
23. " श्री सुखम लखार ~~अ~~
24. " श्री मो. रानी
25. " श्री संदीप पात्रेकर Shinde
26. " श्री कृष्ण शर्मा
27. " श्री शान्त भादव ~~अ~~
28. " श्री हनीक शर्मा

२०. मानवीय कृषि संयुक्त हैकर.

२१. श्री राम. लाल. पट्टा. गाराई

२२. शिवराविका आरिमाही.

२३. श्री प्रताप सतारकर Shirur

२४. श्री अमर सा - Shirur

२५. श्री महेश सिंह ठाकुर.

२६. An. Abhay Senkhia Shirur

निर्माण कार्य.

१. प्रशासनिक भवन में उत्तर गलियारा कांक्रीट खोलेक
एक में कुंआर निकाल खाना " मरुती" नाम.

२. कार्यालय भवन के अंदर काम में चेकर टाइल में
मिडी मरुत नाम.

३. प्रशासनिक भवन के प्रशासनिक वर विसर्ग से २२
हैर दीवार निर्माण, खंडी दरवाजा, खंडी

४. कार्यालय भवन परिसर में गैलेरी काम में कुंआर को हट-
दरवाजा, टाइल, मरुत नाम, लोदी निर्माण.

५. कार्यालय भवन में काम में लोदी, लया कमरों में निर्माण
में लोदी निर्माण का कार्य.

६. कार्यालय भवन परिसर में टाइल टाइल लया मरुत -
खाना वर कुंआर वर काम में मरुत

पानी पर सामग्री कार्य:

- 1 सुविधात्मक सामग्री का एक सेट के लिये प्राथमिक स्तर -
- 2 उच्च स्तर के शिक्षक के लिये लेख - 20 नमूने
- 3 आधुनिक लेख 10 नमूने — 10 नमूने
- 4 द्वा द्वारिक लेख 100 नमूने
- 5 आधुनिक लेख 10 नमूने
- 6 बालक / कठिन/ साधारण लेख 50 नमूने आधुनिक

हिंदुस्तान के इतिहास में उद्योग, अर्थव्यवस्था का कार्य

- 1 हिंदुस्तान के इतिहास का सुचारु रूप से चलाया जाय
- 2 हिंदुस्तान के 2 से 3 हिंदुस्तान का सुचारु चलाया
- 3 हिंदुस्तान के 3 से 4 हिंदुस्तान का सुचारु चलाया
- 4 इंग्लिश के हिंदुस्तान का सुचारु चलाया जाय
- 5 विभिन्न विभागों के हिंदुस्तान चलाया / कोचिंग विभाग का कार्य
- 6 डॉ. सी. सुन्दर चलाया जाय
- 7 इंग्लिश लेखों के लेख 30 नमूने लेखों
- 8 कथाओं के लिये 25 पंक्तियों का प्रश्न

अध्यास 1 का निर्माण

1. एक बेलनाकार पात्र की लंबाई 10 से.मी. और व्यास 14 से.मी. है। इस पात्र में जल भरने पर जल की गहराई 5 से.मी. हो जाती है। जल की गहराई कितनी हो गईगी?
2. एक बेलनाकार पात्र की लंबाई 10 से.मी. और व्यास 14 से.मी. है। इस पात्र में जल भरने पर जल की गहराई 5 से.मी. हो जाती है। जल की गहराई कितनी हो गईगी?

उत्तर:

1. 10 से.मी.
2. 10 से.मी.
3. 10 से.मी.
4. 10 से.मी.
5. 10 से.मी.
6. 10 से.मी.

अध्यास 2 का निर्माण

1. 0.2
2. 0.2
3. 0.4
4. 0.2
5. 0.2

अध्यास 2 का उत्तर: 0.2, 0.2, 0.4, 0.2, 0.2

1. જો વિદ્યાર્થીને પ્રાથમિક શિક્ષણમાં સારા સરખા બાંધવામાં આવે તો તેને લગભગ જો શિક્ષણને પૂરું પડે છે।

2. જો કે જામનગરમાં જો વિદ્યાર્થીને પ્રાથમિક શિક્ષણમાં સારા સરખા બાંધવામાં આવે તો તેને લગભગ જો શિક્ષણને પૂરું પડે છે।

1. સરકારી શિક્ષણ દેવ- ગૌરવ પુસ્તક વાંચવું

2. સરકારી શિક્ષણ દેવ- ગૌરવ પુસ્તક, જેથી શિક્ષક શિક્ષકોને જો શિક્ષણને પૂરું પડે છે।

3. વિદ્યાર્થીને શિક્ષણમાં સારા પ્રયત્ન દેવ શિક્ષણને પૂરું પડે છે।

4. સરકારી શિક્ષણ દેવ- 100 ગરુડે વિદ્યાર્થીને જો શિક્ષણને પૂરું પડે છે।

5. ગરુડે પુસ્તક જો શિક્ષણને પૂરું પડે છે।

6. વિદ્યાર્થીને શિક્ષણમાં સારા પ્રયત્ન દેવ શિક્ષણને પૂરું પડે છે।


1. જો શિક્ષણમાં સારા પ્રયત્ન દેવ શિક્ષણને પૂરું પડે છે।

2. સરકારી શિક્ષણ દેવ- ગૌરવ પુસ્તક, જેથી શિક્ષક શિક્ષકોને જો શિક્ષણને પૂરું પડે છે।

3. સરકારી શિક્ષણ દેવ- ગૌરવ પુસ્તક, જેથી શિક્ષક શિક્ષકોને જો શિક્ષણને પૂરું પડે છે।

4. સરકારી શિક્ષણ દેવ- ગૌરવ પુસ્તક, જેથી શિક્ષક શિક્ષકોને જો શિક્ષણને પૂરું પડે છે।

[Handwritten signature]
2020.4.22



[Handwritten signature]

Principal
Govt. Digvijay College
Rajnandgaon (C.G.)


काग-वकीय विभाग, म. ए. ए. कॉलेज, रायपुर

दिनांक 4.2.2023

प्रमुख मागीरारी कार्यालय के लिये

आमंत्रित दिनांक 4.2.2023 को आमंत्रित
कार्यक्रम में प्रमुख की निवेदनानुसार, उपरोक्त कार्यलय कार्य मागीरारी
कार्यालय के लिये कार्यलय के समस्त 11 वल मागीरारी
की शर्त।

उक्त लेख में निम्न संयोजित कार्य उपरोक्त की


प्रमुख
मागीरारी कार्यालय

प्रमुख
कार्यलय

1. काग-वकीय श्री कुलवीर शर्मा

2. " श्री ओ. हसन

3. " श्री महेन्द्र प्रसाद शर्मा

4. " श्री विवेक शर्मा

5. " श्री मनीषा शर्मा

6. " श्री मधुनाथ शर्मा

7. " श्री शरद शर्मा

8. " श्री सुभाष शर्मा

9. " श्री मनीषा शर्मा

10. " श्री शैलेश शर्मा

11. " श्री विवेक शर्मा

Principal
Govt. Pimpri College
Raipur (C.G.)



12. मायगीत श्री मो. इशारेम (मुम्बा) मी० इवाडिम
13. " श्री अशोक चंभवे श्री अ. म. म.
०५/२/२०२३
14. " श्री आमन उद्योग क म.
15. " श्री आमन सोनी
16. " श्री प्रदीप मेन
17. " श्री विठ्ठल रम
18. " श्री विमल शर्मा
19. " श्री शशि क सोलंकी
20. " श्री विक्रम अग्रवाल
21. " श्री विक्रम कडाकर
22. " श्री विष्णु अजमाजी Sidhu
23. " श्री सुखम लखार Sidhu
24. " श्री मो. रंजी
25. " श्री संदीप पात्रवत Sidhu
26. " श्री कृषि शर्मा
27. " श्री शशांग मादव Sidhu
28. " श्री हनीक शर्मा

२०. मानवीय कृषि संयुक्त हैकर.

२१. श्री राम. लाल. पट्टा. गाराई

२२. शिवराविका आरिमाही.

२३. श्री प्रताप सतारकर Shirur

२४. श्री अमर सा - Shirur

२५. श्री महेश सिंह ठाकुर.

२६. An. Abhay Senkhia Shirur

निर्माण कार्य.

१. प्रशासनिक भवन में उत्तर गलियारा कांक्रीट खोलेक
एक में कुंआर निकाल कराना " मजदूरी लागत.

२. कार्यालय ब्लॉक बावेंदर काम में चेकर टाईस में
मिडी मराना का कार्य.

३. प्रशासनिक भवन में प्रशासनिक पर विभाग में दर
हरे दीवार निर्माण, छिडकी उतराना, खोलेकिया

४. कार्यालय परिसर में गलियारा कांक्रीट खोलेक
दरवाजा, टाइल, मजदूरी, सीढ़ी निर्माण.

५. कार्यालय भवन में काम में सीढ़ी, लया कमरों में विभाग
में सीढ़ी निर्माण का कार्य.

६. कार्यालय में दरवाजा का बावेंदर लया मजदूरी -
स्थापन पर कुंआर उतराना मजदूरी

पानी पर सामग्री कार्य:

- 1 सुविधात्मक सामग्री का एक सेट के लिये प्राथमिक स्तर -
- 2 उच्च स्तर के शिक्षक के लिये लेख - 20 नमूने
- 3 आधुनिक लेख 10 नमूने — 10 नमूने
- 4 पारिस्थिक लेख 100 नमूने
- 5 आधुनिक लेख 10 नमूने
- 6 बालक / कठिन/ साधारण लेख 50 नमूने आधुनिक

विद्युत से संबंधित प्रश्न उत्तर, अनुसंधान कार्य

- 1 विद्युत से संबंधित प्रश्न के उत्तरों का सुचारु प्रारंभ करना
- 2 विद्युत से संबंधित प्रश्नों का सुचारु प्रारंभ
- 3 विद्युत से संबंधित प्रश्नों का सुचारु प्रारंभ
- 4 विद्युत से संबंधित प्रश्नों का सुचारु प्रारंभ
- 5 विद्युत से संबंधित प्रश्नों का सुचारु प्रारंभ / विद्युत का कार्य
- 6 विद्युत से संबंधित प्रश्नों का सुचारु प्रारंभ
- 7 विद्युत से संबंधित प्रश्नों का सुचारु प्रारंभ
- 8 विद्युत से संबंधित प्रश्नों का सुचारु प्रारंभ

- 1. पानी में डालने पर के लिये लगे हुए लकड़ों की संख्या को ध्यान में रखते हुए
- 2. 300 से 350 तक के बीच के लिये 20 तक के लिये
- 3. 350 से 400 तक के लिये 10 तक के लिये
- 4. 400 से 450 तक के लिये 10 तक के लिये
- 5.
- 6. 450 से 500 तक के लिये 20 तक के लिये

- 1. 500 से 550 तक के लिये 20 तक के लिये
- 2. 550 से 600 तक के लिये 20 तक के लिये
- 3. 600 से 650 तक के लिये 20 तक के लिये
- 4. 650 से 700 तक के लिये 20 तक के लिये
- 5. 700 से 750 तक के लिये 20 तक के लिये
- 6. 750 से 800 तक के लिये 20 तक के लिये
- 7.
- 8. 800 से 850 तक के लिये 20 तक के लिये

अधीनस्थ भाग विभाग का कार्य

1. वेतन वृद्धि का कार्य करवाया जायेगा। (प्र. भा. म. 3. 10)
2. गणकी नियम 2 म. 13 कथ. भा. नि. भा. का कार्य करवाया जायेगा। (प्र. भा. म. 3. 10 या 12 कथ. भा. नि. भा. म. 3. 10)

अन्य

1. वेतन वृद्धि का कार्य करवाया जायेगा। (प्र. भा. म. 3. 10)
2. वेतन वृद्धि का कार्य करवाया जायेगा। (प्र. भा. म. 3. 10)
3. वेतन वृद्धि का कार्य करवाया जायेगा। (प्र. भा. म. 3. 10)
4. वेतन वृद्धि का कार्य करवाया जायेगा। (प्र. भा. म. 3. 10)
5. वेतन वृद्धि का कार्य करवाया जायेगा। (प्र. भा. म. 3. 10)
6. वेतन वृद्धि का कार्य करवाया जायेगा। (प्र. भा. म. 3. 10)

वेतन वृद्धि का कार्य

1. वेतन वृद्धि का कार्य करवाया जायेगा। (प्र. भा. म. 3. 10)
2. वेतन वृद्धि का कार्य करवाया जायेगा। (प्र. भा. म. 3. 10)
3. वेतन वृद्धि का कार्य करवाया जायेगा। (प्र. भा. म. 3. 10)
4. वेतन वृद्धि का कार्य करवाया जायेगा। (प्र. भा. म. 3. 10)
5. वेतन वृद्धि का कार्य करवाया जायेगा। (प्र. भा. म. 3. 10)

वेतन वृद्धि का कार्य करवाया जायेगा। (प्र. भा. म. 3. 10)

1. જો વિદ્યાર્થીને પ્રાથમિક શિક્ષણમાં સારા સરખા બાંધવામાં આવે તો તેને સરખાને જી આકારમાં ચીંતવે છે.

2. જો કે સમગ્ર પુસ્તકમાં જો વિદ્યાર્થીને પ્રાથમિક ભાષા શિક્ષણમાં (જ્યાં 10 વર્ષ) કે સમગ્ર જી આકારમાં પ્રાથમિક જી આકારમાં આકારમાં આકારમાં આવે તો તેને સરખાને જી આકારમાં ચીંતવે છે.

1. સરખાને પ્રકાર - ગોળ ચતુરક ટંક

2. સરખાને પ્રકાર પ્રકાર - ગોળ ચતુરક, રેખા, સરખાને પ્રકાર - જી આકારમાં ચીંતવે છે.

3. સરખાને પ્રકાર પ્રકાર - ગોળ ચતુરક પ્રકાર પ્રકાર ચીંતવે છે.

4. સરખાને પ્રકાર પ્રકાર - 100 વર્ગકે સરખાને પ્રકાર પ્રકાર ચીંતવે છે.

5. સરખાને પ્રકાર પ્રકાર - ગોળ ચતુરક પ્રકાર પ્રકાર ચીંતવે છે.

6. સરખાને પ્રકાર પ્રકાર - ગોળ ચતુરક પ્રકાર પ્રકાર ચીંતવે છે.


1. સરખાને પ્રકાર પ્રકાર - ગોળ ચતુરક પ્રકાર પ્રકાર ચીંતવે છે.

2. સરખાને પ્રકાર પ્રકાર - ગોળ ચતુરક પ્રકાર પ્રકાર ચીંતવે છે.

3. સરખાને પ્રકાર પ્રકાર - ગોળ ચતુરક પ્રકાર પ્રકાર ચીંતવે છે.

4. સરખાને પ્રકાર પ્રકાર - ગોળ ચતુરક પ્રકાર પ્રકાર ચીંતવે છે.




Principal
Govt. Digvijay College
Rajnandgaon (C.G.)


विशेष बैठक

दिनांक


27/07/2022

गणपति दिनांक 27/7/2022 को सुप्रीम कोर्ट की विशेष विधा परिषद की बैठक रखी गयी। जिसमें निम्न सदस्य उपस्थित रहे।


① डॉ. वी.एन मेन्गम —
प्राचार्य
शा. कोलेज, मल.
डोंगरेमार्ग (का.)


27/7/22


② डॉ. चंयमा बोस —
प्राचार्य
शासकीय महाविद्यालय
जाफल


27/7/22


③ डॉ. रीचा ठाकुर —
शा. सन्या मल.
का.


27/7/2022


④ डॉ. एम डे. सोनकरा —
(शिक्षा एवं उद्योगपति विशेषज्ञ)


27/07/2022


⑤ एडवोकेट श्री महेन्द्र वर्मा —
(नियंत्रण विशेषज्ञ सदस्य)


27/7/22

⑥ डॉ. पन्नालाल वासुन्डी —
(चिकित्सा विशेषज्ञ सदस्य)


27/7/22

⑦ डॉ. डी. पी. कुरी —
(प्राचार्य द्वारा अमानित सदस्य)


27/7/22

- 8. डॉ. शंकर मुनि राय — 27.7.2022
- 9. डॉ. अजित कुमार मिश्रा
(प्रचारक छात्र मन्त्री मंत्रालय) — 27.7.22
- 10. डॉ. बी. अन. जागृत — 27.7.2022
- 11. डॉ. प्रीतिजाता रांक — 27/7/22
- 12. श्रीमती उषा ठाकुर — 27.07.2022
- 13. डॉ. किरण लता कामते
- 14. डॉ. ए. के. गंडारी
- 15. Yashwantrao Bhat
- 16. Dr. K. Prasad
- 17. RAJU KHUNTTEY
- 18. Savita Chandrawanshi
- 19. Hempushpa
- 20. श्रीमती जालेता शर्मा — 27/07/22
- 21. डॉ. दिव्या देशपाण्डे — 27/7/22
- 22. डॉ. अंजली मोहन कोडोपी — 27.7.22
- 23. Dr. Anita Shankar
(Dept. of English) — ANITA 27.7.2022
- 24. Dr. Shabnam Khan — 27.7.2022
- 25. Dr. Shailendra Singh
- 26. Dr. Pramod Kr. Mahish
- 27. Dr. N.S. ALREJA

(28) डॉ. एम. के. उड्डे

Date
Page

(29) डॉ. हेमन्त साव

नाम

(30) श्री गोमुख राम निवार

विद्या परिषद की बैठक में सक्रियता महाविद्यालय के प्राचार्य डॉ. हेमन्त साव के द्वारा सभी नवीन लगभग 100 छात्रों का स्वागत किया गया इसके पश्चात् पिछले अस्त्राव पर चर्चा किया गया एवं पिछले पुस्तक का अनुमोदन किया गया। इस बैठक में निम्न विषयों पर चर्चा करके निर्णय लिए गए -

(1) उच्च शिक्षा विभाग छत्तीसगढ़ शासन द्वारा सत्र 2022-23 से छत्तीसगढ़ के सभी 08 स्वशासी महाविद्यालयों में NEP 2020 के अनुसार स्नातक प्रथम वर्ष में सेमेस्टर एवं CBCF/LOCF पाठ्यक्रम लागू किया जा रहा है इसी क्रम में शासकीय दिग्विजय स्वशासी स्नातकोत्तर महाविद्यालय में भी लागू करने का निर्णय लिया गया है। साथ ही महाविद्यालय के स्नातक स्तर पर 4 वर्षीय डिग्री पाठ्यक्रम लागू किया जा रहा है। विभिन्न विषयों के पाठ्यक्रम तथा कुल अध्ययन अंश से अनुमोदन करा लिया गया है यह पाठ्यक्रम 192 क्रेडिट का होगा।

(2) उपरोक्त पाठ्यक्रम में Multiple Exit and Multiple Entry (मिसे) का प्रावधान होगा जो निम्न है -

(i) 01 वर्षीय पाठ्यक्रम (प्रथम एवं द्वितीय सेमेस्टर) पूर्ण करने पर विद्यार्थी को स्नातक सीरिफिगेट की प्राप्ति होगी जिसे लिये कुल 48 क्रेडिट होगा।

(ii) 02 वर्षीय पाठ्यक्रम (प्रथम से चतुर्थ सेमेस्टर) पूर्ण करने पर विद्यार्थी को स्नातक डिप्लोमा की प्राप्ति होगी जिसे लिये कुल 96 क्रेडिट संग्रहित करना होगा।

(iii) 03 वर्षीय पाठ्यक्रम (प्रथम से छठवें सेमेस्टर) पूर्ण करने पर विद्यार्थी को डिग्री (स्नातक) की पाठ्य होगी जिसके लिए 144 क्रेडिट संग्रहित करना होगा।

(iv) 04 वर्षीय पाठ्यक्रम (प्रथम से आठवें सेमेस्टर) - चार वर्षीय पाठ्यक्रम में 3री विद्यार्थी को चतुर्थ वर्ष में प्रवेश करने की पाठ्य होगी जिसका 3 वर्षीय पाठ्यक्रम में CGPA 7.5 या उससे अधिक का CGPA आया हो। 04-वर्षीय पाठ्यक्रम पूर्ण करने पर विद्यार्थी को स्नातक डिग्री या डिग्री विषय (स्नातक) की पाठ्य होगी इस हेतु न्यूनतम 192 क्रेडिट Earn करना होगा।

(3) महाविद्यालय में 02 प्रकार के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम संचालित होंगे।

(i) 02 वर्षीय स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम (03 वर्षीय डिग्रीधारी विद्यार्थी के लिए)

(ii) 01 वर्षीय स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम (04 वर्षीय डिग्रीधारी विद्यार्थी के लिए जिन्होंने 03 वर्षीय पाठ्यक्रम में 7.5 CGPA या उससे अधिक CGPA अर्जित किये हैं)

(4) सत्र 2022-23 हेतु पाठ्यक्रम समिति द्वारा 18 स्नातकोत्तर, 24 स्नातक पाठ्यक्रम का अनुमोदन करा लिया गया है साथ ही 2 पी.जी. डिप्लोमा, 2 डिप्लोमा तथा 4 एडवांस्ड कोर्स के साथ 18 वेल्थ-एडेड सर्टिफिकेट पाठ्यक्रम के पाठ्यक्रमों का अनुमोदन करा लिया गया है।

(5) B.A., B.Sc., B.Com. एवं B.C.A. प्रथम वर्ष (प्रथम एवं द्वितीय सेमेस्टर) के लिए UGC 2022/CBS/ LOCF (NER 2020) पाठ्यक्रम अध्ययन तालिका द्वारा अनुमोदन करा लिया गया है।

(6) द्वितीय एवं तृतीय वर्ष (old course) हेमचंद्र यादव विश्वविद्यालय द्वारा के पाठ्यक्रम के अनुमोदन संचालित हएंगे।

7) स्नातक (New CBCS/LOCF Course) प्रथम एवं द्वितीय सेमेस्टर में पर्यावरण अध्ययन (Environment & Studies) के आंतरिक मूल्यांकन एवं प्रोजेक्ट के रूप में अनिवार्य किया गया है। जिसके अन्तर्गत छात्र अपने आसपास के क्षेत्र में लोगों को पर्यावरण रक्षा हेतु जागरूक करते हैं। प्रोजेक्ट कार्य के अन्तर्गत स्नातक स्तर पर संशोधन (स्थानीय भाषा) को देखते हुए किया गया है। प्रोजेक्ट कार्य 10 घंटे का कार्य उदा अनिवार्य होगा।

8) हेमचन्द्र शाह विश्वविद्यालय के परीक्षा केंद्र 548/परीक्षा/2017 द्वारा दिनांक 19/07/2017 के अनुसार महाविद्यालय में अध्ययनरत स्नातक द्वितीय एवं तृतीय वर्ष (01 व 02 वर्ष) के छात्र, छात्राओं हेतु माह दिसम्बर/जनवरी के आंतरिक मूल्यांकन परीक्षा का आयोजन किया जाना आवश्यक है। आंतरिक मूल्यांकन परीक्षा का अंके वापसी परीक्षा के अंक में जोड़ा जाना है जिसमें आंतरिक मूल्यांकन का अंक अधिकतम 10% तथा मुख्य परीक्षा के अंक का 90% अधिकतम होगा जो विद्यार्थी के आंतरिक मूल्यांकन के अनुपातिक होंगे। इनका मूल्यांकन कुल 90% वापसी अंक के आधारे पर होगा। उक्त वापसी के समायोजित करने हेतु स्नातक परीक्षा सम्पन्न कराई जायेगी। आंतरिक मूल्यांकन परीक्षा के प्रत्येक प्रश्न पर के अधिकतम अंक वही होंगे जो मुख्य परीक्षा में निर्धारित है।

9) स्नातक (New CBCS Course) में 80% अंक End Semesters Exam तथा 20% अंक Internal Exam का होगा। प्रति सेमेस्टर 02 आंतरिक परीक्षा को आयोजित करके का प्रावधान है।

10) बी.बी.ए. थ्रिज कोर्स के विद्यार्थी, थ्रिज कोर्स की परीक्षा प्रथम वर्ष (प्रथम/द्वितीय सेमेस्टर) की परीक्षा उ सत्र देना अनिवार्य होगा। डेवल नियम सत्र 2022-23 में भी प्रभावशील रहेगा।

11) ऑनलाइन सत्र 2022-23 में स्नातक/स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष (या प्रथम सेमेस्टर) में प्रवेश हुई विश्वविद्यालय के वेब पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन उ माध्यम से प्रवेश दिया जायेगा। नया स्नातक द्वितीय एवं तृतीय वर्ष नया स्नातकोत्तर द्वितीय वर्ष उ कक्षाओं में प्रवेश महाविद्यालय के वेब पोर्टल उ माध्यम से दिया जायेगा।

12) समस्त स्वशासी परीक्षा आवेदन महाविद्यालय के वेब पोर्टल उ माध्यम से ऑनलाइन करा जाएगा।

13) सत्र 2019-20 से परीक्षा शुल्क में छिपी प्रकार की कोई वृद्धि नहीं की गई थी वर्तमान परिदृश्य का देखते हुये परीक्षा शुल्क में ऑनलाइन वृद्धि करने का निर्णय लिया गया है जो निम्नांकित है।

कक्षा	पूर्व का शुल्क	वर्तमान शुल्क
B.Sc. 2,3 (Annual)	930 = ₹	1120 = ₹
B.Sc. 1 (Semester)*		1120 = ₹
B.Com-2,3 (Annual)	880 = ₹	1150 = ₹
B.Com-1 (Semester)*		1150 = ₹
B.A.-2,3 (Annual)	930 = ₹	1120 = ₹
B.A.-1 (Semester)*		1120 = ₹
BCA-2,3 (Annual)	1480 = ₹	2000 = ₹
BCA-1 (Semester)*		2000 = ₹
* प्राय सेमेस्टर		
M.Sc. (Com. Scie कोर्स)/M.A (Geography)	930 = ₹	1170 = ₹
M.A./M.Com	880 = ₹	1150 = ₹
M.S.W/DCA/PGDCA/Tally/Mozq	1080 = ₹	1300 = ₹
M.Sc. Computer Science	1280 = ₹	1500 = ₹

(i) स्नातक (B.A) में अगले विषय विद्यार्थी हेतु
50/- (पचास रुपये) कॉलेजियल शुल्क देय होगा।

(ii) 14 के कक्षा में डिप्टी विषय में सीट प्रोजेक्ट
का प्रावधान है उसे परीक्षा शुल्क में 200/-
(दो सौ रुपये) कॉलेजियल शुल्क देय होगा।

(iii) सभी Add-on-course की परीक्षा शुल्क में
250=10 (दो सौ पचास रुपये) निर्धारित किया
गया है।

(iv) स्नातक तथा स्नातकोत्तर के लिए विषय शुल्क
निर्धारित करिक लिचि से आगामी 13 सप्ताह
तक 200=10 (दो सौ रुपये) तथा उसके
पश्चात् 500=10 (पाँच सौ रुपये) निर्धारित होगा।

(v) पूरा तथा आर्क परीक्षा हेतु ~~कक्षा~~
650=10 रुपये से 750 रुपये किया गया है।

(14) प्रोत्सीजन उपार्थी शुल्क 100=10 (एक सौ
रुपये) पूर्वकर रखें ता निर्णय लिया गया है।

(15) Duplicate Account (कॉपी) का शुल्क 20=10
(बीस रुपये) तथा Duplicate Worksheet
का शुल्क पूर्वकर 200=10 (दो सौ रुपये)
रखें ता निर्णय लिया गया है।

(16) परीक्षा के गोपनीय कार्य से बाहर जाते पर
(स्वशास्त्री परीक्षा नियंत्रक या अन्य संबंधित)
प्रचारकों की अनुमति से किराये का वाहन कले
की अनुमति की गई। वाहन पर स्वामीय पर
पर मान्य होगा।

(17) External Examiner तथा अन्य कार्य के लिए
बाहर से आने वाले प्राध्यापकों के T.A. तथा
D.A. (शासन द्वारा लागू पर 1 अप्रैल 2012 के
अनुसार T.A. 10 रु प्रति किलोमीटर स्वयंसेवा वाहन
से तथा Taxy 30 पर 12 रु प्रति किलोमीटर)
तथा होटल में ठहरने पर होटल किराया
शासन पर पर मान्य होगा।

(18) स्नातकोत्तर (सर्वाी सेमेस्टर) सत्र 2016-17 से परीक्षा प्रश्न पत्र की प्रारूप में परिवर्तन किया गया है प्रश्न पत्र की शर्तों में विभाजित होंगे। वर्ष 2022-23 से स्नातक प्रथम वर्ष (प्रथम एवं द्वितीय सेमेस्टर) में परीक्षा प्रश्न पत्र की शर्तों में विभाजित होगा तथा स्नातक - प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय (Old course) का प्रश्न पत्र सत्र 2016-17 के परिवर्तन के अनुरूप रहेगा। प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय वर्ष (स्नातक) एवं डिप्लोमा पाठ्यक्रम परीक्षा प्रश्न पत्र सेटिंग का परिष्कार 900 = ₹ (नौ सौ रुपये) एवं स्नातकोत्तर परीक्षा प्रश्न पत्र सेटिंग का परिष्कार 1800 = ₹ (एक हजार आठ सौ रुपये) तथा ट्रेसबैण्ड - रोल 200 = ₹ (दो सौ रुपये) प्रति प्रश्न पत्र सेट रहेगा।

(19) परीक्षा उत्तरशीट मूल्यांकन स्नातक स्तर हेतु 15 = ₹ (पन्द्रह रुपये) तथा स्नातकोत्तर स्तर पर 25 = ₹ (पच्चीस रुपये) प्रति शीट निर्धारित किया गया है। मूल्यांकन की न्यूनतम राशि स्नातक स्तर पर 150 = ₹ (सौ रुपये) एवं स्नातकोत्तर स्तर पर 200 = ₹ (दो सौ रुपये) प्रति प्रश्न पत्र प्रकार पर निर्धारित किया गया है।

(20) मासिक परीक्षा की मूल्यांकन राशि (परिष्कार) स्नातक स्तर पर 12 = ₹ (बारह रुपये) प्रति परीक्षार्थी / प्रति कॉपी एवं स्नातकोत्तर स्तर पर 15 = ₹ (पन्द्रह रुपये) प्रति परीक्षार्थी / प्रति कॉपी तथा न्यूनतम राशि स्नातक / स्नातकोत्तर के लिए परिष्कार 500 = ₹ (पाँच सौ रुपये) निर्धारित किया गया है। PG प्रोजेक्ट मूल्यांकन एवं मासिक परीक्षा परिष्कार 100 = ₹ (सौ रुपये) प्रति प्रोजेक्ट निर्धारित किया गया है।

(21) 500 = ₹ (पाँच सौ रुपये) तक की मूल्यांकन राशि में कोई कटौती नहीं होगी तथा

500 = 100 (पाँच सौ रुपये) से अधिक की राशि पर 3% (तीन प्रतिशत) TDS करौली प्रक्रिया शुरू के रूप में करा जाएगा। राशि का भुगतान चेक/बैंक ड्रा द्वारा भुगतान किया जाएगा। पूरा एवं पुनर्मूल्यांकन / पुनर्गणना का परिणामिक रूप से पा मगद भुगतान किया जा सकता है।

(22) 500 = 100 (पाँच सौ रुपये) प्रति विभाग वार्षिक प्रतिवेदन (पैरिंग + बार्डिंग) पर व्यय हेतु राशि दिया जाग प्रस्तावित है। 500 = 100 (पाँच सौ रुपये) से अधिक व्यय होने की स्थिति में अतिरिक्त व्यय हेतु प्राचार्य की पूर्वानुमति आवश्यक है।

(23) सत्र 2022-23 हेतु 10 (दस) Minor Research Project (लघु शोध परियोजना) हेतु प्रत्येक को 50,000 = 100 (पचास हजार रुपये) प्रस्तावित है। इस हेतु निर्धारित प्रारूप में उपोपलपन पर पा विशेषज्ञ समिति द्वारा व्यय ~~पर~~ प्राचार्य MRF को अंतिम रूप से स्वीकृत किया जाएगा, यह प्रोजेक्ट व्यक्तिगत/संयुक्त रूप से किया जा सकता है। विशेष परिस्थिति में अकादमिक/स्वशास्त्री तिकान की स्वीकृति पर मध्यवर्ती व्यय जा सकता है। इसमें राशि का व्यय UGC के द्वारा निर्धारित मर्यादा में किया जाना सुनिश्चित करेंगे।

(24) दिग्विजय अभियान माला हेतु प्रत्येक विभाग के लिए 5000 = 100 (पाँच हजार रुपये) देने की अनुशासना की गई है यह राशि केवल अभियान तथा बाहरी विशेषज्ञ के TMS के लिये है।

(25) Research Grant (रिसर्च फंड) के प्रकाशन का व्यय स्वशास्त्री विभाग से रुले का निर्णय लिया गया है प्रकाशन का व्यय निविदा पर कायम रहेगा।

26) स्वशासी परीक्षा विभाग का मुख्य/पूरक उत्तर पुस्तिका डाक मुची परीक्षा संबंधी सभी प्रश्न के मुद्दों की शर्तों का लक्ष्य, स्वशासी विभाग के लिखित/शुद्ध, टेलीफोन बिल, बिजली बिल, आवश्यक मंडल (Board of Studies) विभाग द्वारा आयोजित समस्त बैठकों की TA/DA गोपनीय कार्य लक्ष्य, आपत्काल अंश, डिप्टी रजिस्ट्रार (विश्वविद्यालय, प्राचार्य तथा नियंत्रक अंकमुची से हलवाका (2.00 को रुपये प्रति अंकमुची) काफिर सभी लक्ष्य आवश्यकानुसार हलवाका शासन क्रय नियमानुसार किये जायेंगे।

27) सत्र 2022-23 हेतु 10 (दस) राष्ट्रीय सेमिनार कराया जाना प्रस्तावित है प्रत्येक पर अधिकतम 50,000 = ₹ (पचास हजार रुपये) तक शर्तों लक्ष्य स्वशासी परीक्षा मंडल से लक्ष्य करने की अनुमति की गई। साथ ही 3 गीक अन्तर्राष्ट्रीय सेमिनार कराया जाना प्रस्तावित है प्रत्येक के लिए 1,50,000 = ₹ (एक लाख रुपये) अधिकतम स्वशासी मंडल से प्रस्तावित है।

यदि कोई विभाग आन्वयर्षिक/ऑन-डेड मोड में वेबीनार (राष्ट्रीय/अन्तर्राष्ट्रीय) हलवाका पर करवाना चाहता है तो इस हेतु राष्ट्रीय वेबीनार के लिए अधिकतम 5000 = ₹ (पांच हजार) तथा अन्तर्राष्ट्रीय वेबीनार के लिए अधिकतम 10,000 = ₹ (दस हजार रुपये) प्रदान करने की अनुमति की गई।

28) सत्र 2022-23 हेतु 3 कार्यशाला (राष्ट्रीय हलवाका) पर कराया जाना प्रस्तावित है। प्रत्येक के लिए 50,000 = ₹ (पचास हजार रुपये) अधिकतम लक्ष्य निर्धारित किया गया। वचुवल कार्यशाला हेतु 10,000 = ₹ (दस हजार रुपये) लक्ष्य की अनुमति की गई।

29) महाविद्यालय के मेधावी विद्यार्थियों, स्किपिडियों को विशेष प्रोत्साहन देने हेतु नगद/पुस्तक/प्रमाणिक पर आदि से प्रोत्साहित करने का निर्णय लिया गया है।

विद्यार्थियों को दूरगंत राज्य की टीम का प्रतिनिधित्व राष्ट्रीय स्तर पर करें या उन्हें नगद 30000.00 (तीन हजार रुपये) एवं अ-रिजर्वीय स्तर पर करें या 10,000 = 10 (दस हजार रुपये) की शर्ति प्रदान की जायेगी।

30) विगत वर्षानुसार सांस्कृतिक गतिविधियों में विद्यार्थियों की सहभागिता को बढ़ावा देने हेतु स्वशासी विभाग से प्रोत्साहन शर्ति प्रथम विजेता को 10000 = 10 (दस हजार रुपये), द्वितीय विजेता 5000 = 5 (पाँच सौ रुपये), एवं तृतीय विजेता को 3000 = 3 (तीन सौ रुपये) शर्ति प्रदान करने की अनुशंसा की गई। यह शर्ति अलग अलग विधा के लिए अलग-अलग प्रदाय किया जावेगा।

31) परीक्षा विभाग के गोपनीय कार्य हेतु 60.00 (साठ रुपये) प्रतिदिन की दर से स्वार्णय परिवहन शर्ति प्रदान किये जाने की अनुशंसा की गई है।

32) स्वशासी परीक्षा विभाग को रिफ्रेशमेंट हेतु 10,000 = 10 (दस हजार रुपये) व्यय करने की अनुशंसा प्रदान की गई है।

33) सत्र 2016-17 से महाविद्यालय में मेरिट प्रोत्साहन योजना लागू करने का निर्णय लिया गया था। इस योजना में प्रत्येक कक्षा में प्रथम आठ वाले विद्यार्थी को उनके परीक्षा के परीक्षा शुल्क में छूट मिलेगी यह योजना सत्र 2022-23 में भी लागू रहेगी।

34) खेलमैट खेल के नियमित गतिविधि के लिए 50,000 = 50 (पचास हजार रुपये) की शर्ति स्वीकृत करने की अनुशंसा की गई।

(35) National / International Seminar / Workshop में
full length paper प्रस्तुत करने पर स्वशासी परीक्षा
प्रकोष्ठ द्वारा प्राध्यापक/ सहा. प्राध्यापक पंजीयन शुल्क
देय होगा। जिसकी एउ प्रति स्वशासी परीक्षा
प्रकोष्ठ में जमा करना होगा।

(36) Capacity Building Workshop हेतु 20,000 = ५०
(बीस हजार रुपये) की राशि स्वीकृत किया गया है।

(37) पाठ्यक्रम में Study Tour (बैज्ञानिक भ्रमण) होने
के कारण (बाहर जाते की खर्च में) Geography
History, Zoology, Botany एवं वाणिज्य संकाय/
विभाग प्रत्येक विभाग को स्वशासी परीक्षा प्रकोष्ठ
द्वारा 20,000 = ५० (बीस हजार रुपये) की राशि
स्वीकृत करने की अनुमति की गई साथ ही
अन्य विभागों को भी बैज्ञानिक भ्रमण हेतु
10,000 = ५० (दस हजार रुपये) की राशि प्रदान करने
की अनुमति की गई है। भ्रमण के पश्चात्
विभाग द्वारा भ्रमण का एउ विस्तृत रिपोर्ट जमा
करने पर ही प्रदाय राशि का समायोजन किया
जायेगा।

(38) महिला प्रकोष्ठ की वार्षिक गतिविधि हेतु
5000 = ५० (पाँच हजार रुपये) स्वीकृत करने
की अनुमति की गई।

(39) Eco-Club को वार्षिक गतिविधि हेतु 10,000 = ५०
(दस हजार रुपये) स्वीकृत करने की अनुमति की गई।

(40) विज्ञान क्लब एवं सांस्कृतिक गतिविधि के लिए
प्रत्येक को 5000 = ५० (पाँच हजार रुपये) स्वीकृत
करने की अनुमति की गई।

(41) Literary Club को वार्षिक गतिविधि हेतु
2000 = ५० (दो हजार रुपये) स्वीकृत करने की
अनुमति की गई।

(42) सत्र 2019-20 से Re-valuation fees 200=₹
(दो सौ रुपये) तथा Re-totaling fees 100=₹
(एक सौ रुपये) प्रति उत्तरपुस्तिका तथा उत्तरपुस्तिका
का फोटो कॉपी करने पर 350=₹ (तीन सौ
पचास रुपये) प्रति उत्तरपुस्तिका निर्धारित हो
गई थी। Re-valuation fees 620=₹
(छह सौ बीस रुपये) प्रति उत्तरपुस्तिका
निर्धारित हो गई थी यह निर्धारण सत्र
2022-23 में भी प्रभावशील रखने का निर्णय
लिया गया है।

(43) Revaluation कार्य हेतु संयोजक को प्रति
Faculty (कला, विज्ञान तथा कामर्स) 1000=₹
(एक हजार रुपये) का शक्ति मानदंड दिये जाने
का निर्णय लिया गया है।

(44) स्वशासी परीक्षा विभाग द्वारा आयोजित बेंच
में शामिल प्रत्येक बाहरी सदस्य (विश्वविद्यालय
UGC द्वारा नामित) को 1500=₹ (एक हजार
पाँच सौ रुपये) सम्मान शक्ति प्रदान
करने का निर्णय लिया गया है।

(45) परीक्षा गोपनीय कार्य ले बाहर जाने पर
नियंत्रण, उपनियंत्रण एवं सहायक नियंत्रण को
500=₹ (पाँच सौ रुपये) की शक्ति रिलु
एवार्ड (जैरिकम गला) के रूप में स्वीकृत
दिया गया है।

(46) कित्तु समिति के सदस्य को कित्तु समिति
के बेंच में सम्मिलित होने पर 500=₹
(पाँच सौ रुपये) सम्मान शक्ति प्रदान करने का
निर्णय लिया गया है।

(47) स्वशासी परीक्षा प्रकोष्ठ द्वारा आयोजित
Minor Research प्रियोजन (लघु शोध परियोजना)

के बाह्य मूल्यांकन कले वाले बाह्य परीक्षक का परिश्रमिता प्रति घण्टेकर 1,000=₹ (एक हजार रुपये) की मानदेय राशि स्वीकृत किया गया है।

(48) महाविद्यालय के लगी 18 स्नातकोत्तर (विभाग को मूल्यवर्धन कार्यक्रम (Value added Certificate Course) सत्र 2022-23 में कराया जाना प्रस्तावित है जिस हेतु प्रत्येक के लिए 10,000=₹ (दस हजार रुपये) की राशि स्वीकृत किया गया है।

(49) IQAC की नियमित गतिविधियों के लिए सत्र 2022-23 हेतु 50,000=₹ (पचास हजार रुपये) स्वीकृत करने का निर्णय लिया गया है।

(50) गोपनीय कार्य हेतु विश्वविद्यालय या अन्य स्थान पर जाते हेतु प्रतिदिन 100=₹ (एक सौ रुपये) जोरिक्त भत्ता वासुधाय निषभाडुला दिये जाते का निर्णय लिया गया है।

(51) डिप्टी की विभाग डाका विभाग के समस्त Research Paper को book के रिफॉर्म में Publish (Proceeding) कराने हेतु अधिकतम 20,000=₹ (बीस हजार रुपये) प्रदान करने का निर्णय लिया गया है।

उपरोक्त समस्त वित्तीय मामलों (लघुओं) में

- (i) खण्डक कथ नियम का पालन अनिवार्य है।
- (ii) राशि आवरण के पूर्व प्राचार्य की अनुमति अनिवार्य है।

(52) समस्त परीक्षा आवेदन पत्र आनलाईन माध्यम से महाविद्यालय के पोर्टल से भरे जायेंगे।

(53) सत्र 2022-23 में स्नातक (प्रथम वर्ष - प्रथम एवं द्वितीय सेमेस्टर) द्वितीय तथा तृतीय वर्ष) एवं स्नातकोत्तर (न्यारो सेमेस्टर) के समस्त प्रश्न पत्रों (मुख्य परीक्षा न्यारो सेमेस्टर तथा AAL) को त्रिंशद वर्षों में लिखा जाएगा।

प्रश्न पत्र तीन खण्डों में से खण्ड (अ) अनिवार्य रूप से
खण्ड (ब), लघुउत्तरीय एवं खण्ड (स) - वैकल्पिक उत्तरीय
होंगे।

(54) स्नातक प्रथम वर्ष (प्रथम सेमेस्टर) तथा
स्नातकोत्तर प्रथम एवं तृतीय सेमेस्टर नवम्बर-
दिसम्बर 2022 माह तथा प्रायोगिक प्रथम से
द्वितीय सप्ताह - नवम्बर 2022 से प्रारंभ होगी
तथा द्वितीय एवं तृतीय सेमेस्टर की परीक्षा
अप्रैल-मई माह 2023 तथा प्रायोगिक परीक्षा
अप्रैल-माह के प्रथम द्वितीय सप्ताह से प्रारंभ
होगी।

(55) स्नातक प्रथम वर्ष (मूलपूर्व) द्वितीय एवं
तृतीय वर्ष - वाषट्ठी परीक्षा 1 मार्च 2023 से
प्रारंभ होगी तथा प्रायोगिक परीक्षा 1 फरवरी
से 20 फरवरी तक करा ली जावेगी।

(56) स्नातक स्तर पर प्रथम वर्ष (मूलपूर्व) द्वितीय
एवं तृतीय वर्ष के विद्यार्थियों हेतु पुनर्मूल्यांकन
एवं पुनर्गणना की प्रावधान नियमित विद्यार्थी
तथा मूलपूर्व विद्यार्थी हेतु होगी। पूरक
विद्यार्थी पर यह नियम लागू नहीं होगा।

(57) स्नातक प्रथम वर्ष (प्रथम + द्वितीय सेमेस्टर)
तथा स्नातकोत्तर स्तर पर पुनर्मूल्यांकन का
प्रावधान (विश्वविद्यालय द्वारा के संशोधित
अध्ययन के अनुसार) समाप्त किया जाता है।
पुनर्गणना के बाद हेमचंद्र साधव किंगड के
नियमावली अंतर्गत पुस्तिकों की छायाचित्र परीक्षाओं
की प्रकृति की जाती है।

(58) स्नातकोत्तर स्तर पर पुनर्गणना की प्रावधान
नियमित तथा मूलपूर्व परीक्षार्थियों को ही
होगी। ATKT के परीक्षार्थियों पर यह नियम
लागू नहीं होगा।

(59) स्नातकोत्तर स्तर पर लेमेस्ट परीक्षाओं में आंगरिड मूल्यांकन 20 अंक का होगा जिसका गणना निम्नांकित किया जायेगा - (i) CT-1 एवं CT-2 से 20 अंक तथा (ii) विभागीय गतिविधि से 20 अंक कुल 20 अंक होगा. विभागीय गतिविधि का निर्धारण विभागाध्यक्ष के अनुसार हो सकता है।

(60) सत्र 2022-23 में स्नातक द्वितीय व तृतीय वर्ष की परीक्षा में आंगरिड मूल्यांकन का प्रावधान होगा। जिसमें आंगरिड मूल्यांकन का अंश 10% तथा मुख्य परीक्षा का अंश 90% अंक होगा। आंगरिड मूल्यांकन परीक्षा में प्रत्येक प्रश्न पर वे अधिकतम अंक वही होंगे जो मुख्य परीक्षा में निर्धारित हों। उपरोक्त नियम सत्र 2022-23 में प्रभावी रहेंगे।

(61) सत्र 2022-23 में स्नातक द्वितीय एवं तृतीय वर्ष के आंगरिड परीक्षा विषयवार संबंधित विभागाध्यक्ष द्वारा स्वशासी परीक्षा प्रकोष्ठ के निर्देशानुसार लिया जायेगा। आंगरिड मूल्यांकन असाइनमेंट के रूप में लिया जायेगा। प्रत्येक प्रश्न के पत्र से पुरे पाँच अक्षर से प्रश्न पूछे जायेंगे। असाइनमेंट के प्रश्न पत्र तथा कर स्वशासी परीक्षा प्रकोष्ठ में अमा करने के उपरान्त परीक्षा केंद्री माह में लिये जायेंगे जिसके उपरान्त अंक मार्च के प्रथम सप्ताह तक समस्त विभाग द्वारा अमा करा लिया जायेगा।

(62) आंगरिड परीक्षा प्रश्न पत्र का प्रारूप मुख्य परीक्षा के समान होगा। संबंधित विभागाध्यक्ष स्वशासी परीक्षा विभाग से उक्त पुस्तिका के साथ अंक भरने हेतु ऑनलाइन (Online) स्वशासी परीक्षा प्रकोष्ठ से प्राप्त कर सकते हैं।

(63) स्नातकोत्तर के सभी लेमेस्ट के परीक्षा का अंक प्रत्येक प्रश्न पर का 100 अंक का रहेगा जिसमें 80% अंक मुख्य परीक्षा तथा 20% अंक आंगरिड मूल्यांकन का रहेगा।

64) UGC/CBS/LOCF - राष्ट्रीय शिक्षा निधि 2020 पर आधारित पाठ्यक्रम स्नातक सेमेस्टर परीक्षा के लिए नियम निम्न हैं -

(i) स्नातक परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु अश्वविद्यालय / विश्वविद्यालय के निम्नानुसार प्रवेश लेना होगा जिसे विभिन्न विषयों का चयन अनिवार्य है।

(ii) छात्र को द्विवर्षीय डिग्री हेतु अर्थात् प्रथम सेमेस्टर से छठवें सेमेस्टर की परीक्षाओं को सफलतापूर्वक उत्तीर्ण करके हेतु अधिकतम सीमा 6 वर्ष है।

(iii) स्नातक की प्रत्येक सेमेस्टर परीक्षा में अविद्यमान दो विषयों में ATKT (Allowed to keep term) दिया जायेगा। दो से अविद्यमान विषयों कोर्स में अनुत्तीर्ण होने पर उसे उस सेमेस्टर में अनुत्तीर्ण माना जायेगा।

(iv) ऐसे छात्र जो किसी सेमेस्टर में अनुत्तीर्ण हुए हैं वे छात्रों द्वारा अनुपूर्व के रूप में परीक्षा देकर उत्तीर्ण होने के उपरान्त अगली सेमेस्टर में प्रवेश ले सकते हैं।

(v) सेमेस्टर ATKT Exam Odd/Even (सम/विषम) पत्र पर आधारित होगा अर्थात् प्रथम तृतीय तथा पंचम सेमेस्टर का ATKT ठीक अगले प्रथम, तृतीय या पंचम सेमेस्टर के साथ एवं द्वितीय, चतुर्थ तथा षष्ठम सेमेस्टर का ATKT ठीक अगले द्वितीय, चतुर्थ एवं षष्ठम के साथ होगा।

(vi) किसी विद्यार्थी को सेमेस्टर के सभी विषयों कोर्स में प्रत्येक के लिए - न्यूनतम 33% अंकों का न्यूनतम अनिवार्य होगा। जो कि बाध्य

परीक्षा (मुख्य परीक्षा) तथा आंतरिक मूल्यांकन के कुल योग (संचयी) मिलकर 33% अंक होना चाहिए।

(vii) यदि कोई छात्र आंतरिक मूल्यांकन/असाइनमेंट में अनुपस्थित है तो प्राप्तांक के कालम में "AB" अनुपस्थित लिखा जाएगा।

(viii) Grade Marks (कृपेनीक अंक) विश्वविद्यालय के नियमानुसार लागू होगा।

(ix) सेमेस्टर परीक्षा में बाह्य परीक्षा 80% तथा आंतरिक मूल्यांकन 20% अंक या आकारित होगा जिसमें आंतरिक परीक्षा या मूल्यांकन ए-1 एवं ए-2 के रूप में होगा।

(x) यदि कोई छात्र प्रथम एवं द्वितीय दोनों सेमेस्टर में अनुपस्थित * होता है तो उसे तीसरे सेमेस्टर में प्रवेश नहीं दिया जायेगा। वह अगले सब में पूर्व छात्र (अल्पपूर्व) के रूप में प्रथम एवं द्वितीय सेमेस्टर की परीक्षा में सम्मिलित होगा।
(* यदि किसी विद्यार्थी का प्रथम एवं द्वितीय सेमेस्टर में दो से अधिक Back log Paper हो तो)


(xi) यदि कोई छात्र/छात्रा स्नातक के प्रथम दो सेमेस्टर (I & II) पूर्ण करके महाविद्यालय छोड़ता है तो NEP 2020 के नियमानुसार विद्यार्थी की मांग पर महाविद्यालय के स्वीकार के पश्चात् विश्वविद्यालय द्वारा स्नातक सर्टिफिकेट प्रदान किया जावेगा जिसे के लिये उसे आवश्यक 48 क्रेडिट अर्जित करना होगा वरिष्ठ उनी प्रकार यदि वह लगातार चार सेमेस्टर (I से IV) तक पूर्ण करता है तो छात्र के मांग के आधार पर विश्वविद्यालय द्वारा स्नातक डिप्लोमा की प्रस्ताव होगी तथा तीन वर्षीय (I से III) पाठ्यक्रम पूर्ण करने पर स्नातक डिग्री प्रदान किया जायेगा उपरोक्त नियम Multiple Exit & Multiple Entry के अन्तर्गत है तथा NEP 2020 के नियमानुसार है।

सत्रों के लेखक इच्छा के साथ वर्ष में प्रवेश के लिए
वही छात्र छात्र पास होंगे जिन्होंने तीन वर्षों का
कोर्स (P.P.A 7-5 या इसके इक्विवलेंट होगा जो
ऐसे विद्यार्थी को आठ सेमेस्टर सफलतापूर्वक पूर्ण
कने पर Honours डिग्री या रिसर्च डिग्री की
पाठ्यक्रम होगी।


(Xii) छठे सेमेस्टर तक छात्र आर्य को आगे बढ़ा
सकता है यदि वह क्रमशः प्रत्येक सेमेस्टर में
अधिकतम एक या दो विषयों कोर्स में आर्य आता
है तो किन्तु क्रमांक (ii), (iii) एवं (iv) के अनुसार
वह छठे सेमेस्टर की परीक्षा में शामिल हो
सकता है, लेकिन परिणाम तक तक रोक दिया
जायेगा जब तक कि वह पिछले सेमेस्टर अर्थात्
(प्रथम से पाँच) की सभी परीक्षाओं को पास
नहीं कर लेता। जब वह पिछले सभी
सेमेस्टर परीक्षाओं को पास कर लेता है तो
कॉलेज परिणाम की घोषणा की तारीख को
स्नातक डिग्री पास करने की तारीख के रूप
में माना जायेगा।

(65) परीक्षा मूल्यांकन Rules & Regulations हेतु
यादव विश्वविद्यालय द्वारा डे डे जारी Exam
Ordinance का पूर्ण पालन किया जायेगा।

(66) उपरोक्त सभी निर्णय सत्र 2022-23 के
लिए लागू होंगे।



CONTROLLER
Autonomous Exams
GOVT. DIGVIJAY COLLEGE
RAJNANDGAON (C.G.)



PRINCIPAL
GOVT. DIGVIJAY COLLEGE
RAJNANDGAON (C.G.)

पत्रिका

दिनांक

22/08/2022

आज दिनांक 22/08/2022 को स्वशासी परिषद प्रकोष्ठ की शासी निकाय की बैठक कॉन्फ्रेंस हॉल में सुबह 9 बजे से आयोजित की गयी जिसमें निम्न सदस्य उपस्थित रहे -

- ① डॉ. सुदुला कर्करिया (UGC नामित) - सत्यादा
Nishadani
22.08.2022
- ② डॉ. आर. एन. सिंह (राज्य साक्षा नामित) - H
22/8/22
- ③ डॉ. हेमलता महोबे (शिक्षाविद्) - M. Dhabe
22/08/22
- ④ श्रीमति शारदा तिवारी (समाज सेवी) - S
- ⑤ डॉ. एच. एल. शाय्या (विभागाध्यक्ष का. प्रौ.) - /
- ⑥ डॉ. के. के. देवांग (IQAC - संयोजक) - /
- ⑦ डॉ. अंजना ठाकुर (नियंत्रक, स्वशासी परिषद प्रकोष्ठ) - S
- ⑧ डॉ. अनिता साहिवा (Dean, Women faculty) - S
- ⑨ डॉ. हेमंत साव (उप. नियंत्रक) - H
- ⑩ डॉ. एल. के. उके (सहायक नियंत्रक) - /
- ⑪ श्री गोबुल राम निषाड (सहायक नियंत्रक) - (रा. प्र.)

शाली शिक्षण की लंबाई में महाविद्यालयों के प्राचार्य डॉ. के. एल. रावेका द्वारा सभी अतिथियों का स्वागत किया गया। संपन्न विगत वर्ष के परिपालन रिपोर्ट का अनुमोदन कराया गया। साथ सभी सदस्यों को इस वर्ष सत्र 2022-23 में स्नातक प्रथम वर्ष में (CBCS/LOCF/NEP-2020) के संबंध में जानकारी लागू होने वाले कोर्स के बारे में जानकारी दी गई। तथा समिति द्वारा लिखे गए निर्णय तिकड़ी-

(1) शैक्षणिक सत्र 2022-23 में स्नातक स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष में प्रवेश हेतु संबंधित महाविद्यालयों के वेब पोर्टल द्वारा ऑनलाइन आवेदन के माध्यम से प्रवेश दिया जा रहा है।

स्नातक द्वितीय एवं तृतीय वर्ष तथा स्नातकोत्तर द्वितीय वर्ष के कक्षाओं में प्रवेश महाविद्यालय वेब पोर्टल से माध्यम से दिया गया है। सत्र 2022-23 से स्नातक स्नातकोत्तर NEP 2020 के अंतर्गत 04 व्षीय पाठ्यक्रम के प्रथम सेमेस्टर में प्रवेश दिया जा रहा है।

(2) शिक्षा परिषद् के प्रचारकों का अनुमोदन एवं स्नातक स्नातकोत्तर CBCS/LOCF सेमेस्टर प्रणाली लागू करने के संबंध में - उच्च शिक्षा विभाग केंद्रीय शासन द्वारा सत्र 2022-23 से केंद्रीय शासन के 08 स्वशासी महाविद्यालयों में NEP 2020 के अंतर्गत स्नातक प्रथम वर्ष में सेमेस्टर एवं CBCS/LOCF पाठ्यक्रम लागू करने का निर्णय लिया गया है। इसी क्रम में महाविद्यालय में भी स्नातक स्नातकोत्तर 4 व्षीय डिग्री पाठ्यक्रम लागू किया जा रहा है। विभिन्न विषयों के पाठ्यक्रम रचना के अद्यतन मॉडल से अनुमोदन लिया जा चुका है।

3) उपरोक्त पाठ्यक्रम में Multiple Exit and Multiple Entry का Option होगा -

(i) 01 वर्षीय पाठ्यक्रम (प्रथम एवं द्वितीय सेमेस्टर) पूर्ण करने पर विद्यार्थी को सर्टिफिकेट कोर्स की पात्रता होगी।

(ii) 02 वर्षीय पाठ्यक्रम (प्रथम से चतुर्थ सेमेस्टर) पूर्ण करने पर विद्यार्थी को डिप्लोमा कोर्स की पात्रता होगी।

(iii) 03 वर्षीय पाठ्यक्रम (प्रथम से छठे सेमेस्टर) पूर्ण करने पर विद्यार्थी को डिग्री कोर्स की पात्रता होगी।

(iv) 04 वर्षीय पाठ्यक्रम (प्रथम से आठवें सेमेस्टर) पूर्ण करने पर विद्यार्थी को मानर्स डिग्री या डिग्री (रिसर्च) कोर्स की पात्रता होगी।

4) महाविद्यालय में 02 प्रकार के स्नातकोत्तर कोर्स संचालित होंगे।

(i) 02 वर्षीय स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम (03 वर्षीय डिग्रीवारी विद्यार्थी के लिए)

(ii) 01 वर्षीय स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम (04 वर्षीय डिग्रीवारी विद्यार्थी के लिए)

उपरोक्त निर्णय अकादमिउ परिषद् द्वारा अनुमोदित किया गया है।

5) पाठ्यक्रम समिति द्वारा प्रस्तावित पाठ्यक्रम का अनुमोदन: - पाठ्यक्रम समिति द्वारा 18 स्नातकोत्तर 24 स्नातक पाठ्यक्रम का अनुमोदन करा लिया गया है साथ ही 2 पी. जी. डिप्लोमा, 2 डिप्लोमा एवं 4 एम्फॉन कोर्स, 18 वेलफूरेड सर्टिफिकेट पाठ्यक्रम के पाठ्यक्रमों का पाठ्यक्रम समिति द्वारा अनुमोदन करा लिया गया है।

6) बी.ए., बी.एल.डी., बी.कॉम एवं बी.सी.ए. प्रथम वर्ष (प्रथम एवं द्वितीय सेमेस्टर) के छात्र/छात्रा पाठ्यक्रम अध्ययन में लक्ष्य द्वारा अनुमोदित करा लिया गया है।

7) द्वितीय एवं तृतीय वर्ष (Old Course), हेमचंद्र यादव विश्वविद्यालय दुर्ग के पाठ्यक्रम के अनुसार संचालित होगा।

8) स्नातक (New CBCS Course) प्रथम एवं द्वितीय सेमेस्टर में पर्यावरण अध्ययन (Environmental Studies) के आंतरिक मूल्यांकन छात्र प्रोजेक्ट के रूप में अनिवार्य किया गया है। जिसके अंतर्गत छात्र अपने आसपास के क्षेत्र में लोगों को पर्यावरण रक्षा हेतु जागरूक करें। जिसका प्रमाण वही के पाठ्य सार, सीडीओ आदि से प्रमाणित कराके प्रोजेक्ट जमा करेंगे। प्रोजेक्ट कार्य में स्नातक स्तर पर संबंधित स्थानीय भाग को देखते हुए किया गया है। प्रोजेक्ट कार्य में 10 घंटे का कार्य करना अनिवार्य है।

9) हेमचंद्र यादव विश्वविद्यालय के एम क्रमांक 448 / परीक्षा / 2017 दुर्ग दिनांक 19/07/2017 के अनुसार महाविद्यालय में अध्ययनरत स्नातक द्वितीय एवं तृतीय वर्ष (Old Course) के छात्र छात्राओं हेतु ग्राह फिलिम्बल/जनवरी में आंतरिक मूल्यांकन परीक्षा का आयोजन किया जाना आवश्यक है। आंतरिक मूल्यांकन परीक्षा का अंके वार्षिक परीक्षा के अंक में जोड़ा जागा है जिसमें आंतरिक मूल्यांकन का अंक 10 प्रतिशत तथा मुख्य परीक्षा का अंक 90 प्रतिशत होगा। जो विद्यार्थी अनुपातित रहेंगे उनका मूल्यांकन केवल 90% में ही होगा। 30% परिवर्तन को समाप्त करने हेतु स्नातक परीक्षा समय 3 वर्ष जायेगी।

आंतरिक मूल्यांकन परीक्षा के प्रत्येक प्रश्न पर के माध्यम से अंक वही होंगे जो मुख्य परीक्षा में निर्धारित हैं।

(10) स्नातक (New CBCS Course) में 80% अंक End Semester Exam 20% अंक Internal Exam होगा। प्रति सेमेस्टर 02 Internal Exam होगा।

(11) जी.सी.ए. प्रिज कोर्स के विद्यार्थी, प्रिज कोर्स की परीक्षा प्रथम वर्ष (प्रथम/द्वितीय सेमेस्टर) की परीक्षा के साथ देना अनिवार्य होगा। इस नियम सब 2022-23 में भी प्रभावशील रहेगा।

(12) परीक्षा समिति के प्रस्तावों का अनुमोदन - समस्त परीक्षा आवेदन पर आन-लाइन माध्यम से महाविद्यालय के चोर्डल से भरे जाएंगे।

(13) सत्र 2022-23 में स्नातक (प्रथम वर्ष - प्रथम एवं द्वितीय सेमेस्टर, द्वितीय वर्ष तृतीय वर्ष) एवं स्नातकोत्तर (चारों सेमेस्टर) के समस्त प्रश्न फों (मुख्य परीक्षा + सेमेस्टर + वार्षिक + MAKT) को तीन खण्डों में लिया जायेगा। प्रश्न पर तीन खण्डों में खण्ड अ (आति लघुउत्तरीय) खण्ड ब (लघुउत्तरीय) एवं खण्ड स (दीर्घ उत्तरीय होंगे)।

(14) स्नातक प्रथम वर्ष (प्रथम सेमेस्टर) तथा स्नातकोत्तर प्रथम एवं तृतीय सेमेस्टर नवम्बर - दिसम्बर 2022 माह तथा प्रायोगिक प्रथम-द्वितीय सप्ताह नवम्बर 2022 से प्रारंभ होगी तथा द्वितीय एवं तृतीय सेमेस्टर की परीक्षा अप्रैल माह के प्रथम-द्वितीय सप्ताह 2023 से प्रारंभ होगी।

(15) स्नातक प्रथम वर्ष (अग्रपूर्व) द्वितीय एवं तृतीय वर्ष, वार्षिक परीक्षा 1 मार्च 2023 से प्रारंभ होगी तथा प्रायोगिक परीक्षा 1 फरवरी से 20 फरवरी तक जारी आवेगी।

(16) स्नातक स्तर पर प्रथम वर्ष (ग्रन्थपूर्व), द्वितीय एवं तृतीय वर्ष के विद्यार्थियों हेतु पुनर्मूल्यांकन एवं पुनर्गणना की व्यवस्था नियमित विद्यार्थी तथा भूतपूर्व विद्यार्थी हेतु होगी। पूरक विद्यार्थी पर यह नियम लागू नहीं होगा।

(17) स्नातक प्रथम वर्ष (प्रथम + द्वितीय सेमेस्टर) तथा स्नातकोत्तर (स्नातक पर पुनर्मूल्यांकन का प्रावधान (हेमचंद्र यादव विश्वविद्यालय द्वारा है संबंधित अध्यापक के अनुषंग) समाप्त किया जाएगा। पुनर्गणना के लिए हेमचंद्र यादव विश्वविद्यालय के नियमानुसार उन्नत-युक्ति की छात्रापीठ परीक्षाओं को प्रदान की जाती है।

(18) स्नातकोत्तर स्तर पर पुनर्गणना की व्यवस्था नियमित तथा भूतपूर्व परीक्षार्थियों को ही होगी। स्नातक के परीक्षार्थियों पर यह नियम लागू नहीं होगा।

(19) स्नातकोत्तर स्तर पर सेमेस्टर परीक्षाओं में आंतरिक मूल्यांकन 20 अंक का होगा जिसका गणना निम्नानुसार किया जाएगा
→ CT-1 एवं CT-2 प्रत्येक 10 अंक का होगा।

(20) सत्र 2022-23 में स्नातक द्वितीय व तृतीय वर्ष के परीक्षा में आंतरिक मूल्यांकन का प्रावधान होगा जिसमें आंतरिक मूल्यांकन का अधिभाग 10% तथा मुख्य परीक्षा का अधिभाग 90% होगा। आंतरिक मूल्यांकन परीक्षा के प्रत्येक प्रश्न पर 3 अधिकतम अंक वही होंगे जो मुख्य परीक्षा में निर्धारित हैं। उक्त नियम सत्र 2022-23 में प्रभावशाली रहेगा।

(21) सत्र 2022-23 में स्नातक द्वितीय एवं तृतीय वर्ष के आंतरिक परीक्षा विषयवार संबंधित विभागाध्यक्ष द्वारा स्वशासी परीक्षा प्रकोष्ठ के निर्देशानुसार लिया जाएगा।

आंतरिक मूल्यांकन असाइनमेंट तथा CT जिलमें 50% CT (Class Test) + 50% Assignment के रूप में लिया जाएगा। प्रत्येक प्रश्न पत्र से पूरे पाँच इकाइयों से प्रश्न पूछे जायेंगे। असाइनमेंट के प्रश्न पत्र तथा का स्वशासी परीक्षा में जमा करने के उपरांत परीक्षा करवरी आह में लिये जायेंगे जिले उपरांत अंक मार्च के प्रथम सप्ताह तक समस्त विभाग द्वारा जमा करा लिया जाएगा।

(22) आंतरिक परीक्षा प्रश्न पत्र का प्रारूप मुख्य परीक्षा के समान होगा। संबंधित विभागाध्यक्ष स्वशासी परीक्षा विभाग से इन (पुस्तिका) के साथ अंक भरने हेतु foil/cover foil स्वशासी परीक्षा प्रकोष्ठ से प्राप्त कर सकते हैं।

(23) स्नातकोत्तर के सभी सेमेस्टर के परीक्षा का अंक प्रत्येक प्रश्न पत्र का रहेगा जिसमें 80% अंक मुख्य परीक्षा तथा 20% अंक आंतरिक मूल्यांकन का रहेगा।

(24) UGC/CBCA/UGC - राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का आचार्य पाठ्यक्रम स्नातक सेमेस्टर परीक्षा के लिये नियम निम्न हैं -

(i) स्नातक परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु महाविद्यालय/ विश्वविद्यालय के नियमावली प्रवेश लेना होगा जिले विभिन्न विषयों का चयन अनिवार्य है।

(ii) छात्र को त्रिवर्षीय डिग्री हेतु अर्थात् प्रथम सेमेस्टर से छठे सेमेस्टर की परीक्षाओं को सफलतापूर्वक उत्तीर्ण करने हेतु अधिकतम सीमा 6 वर्ष है।

(iii) स्नातक की प्रत्येक सेमेस्टर परीक्षा के अधिकतम दो विषयों में ATKT (Allowed to Keep term)

दिया जायेगा। वो से अच्छे विषय/कोर्स में अनुत्तीर्ण होने पर उसे सेमेस्टर में अनुत्तीर्ण माना जायेगा।

(iv) ऐसे छात्र जो किसी सेमेस्टर में अनुत्तीर्ण हुए हैं वे छात्र/छात्रा शून्यत्व के रूप में परीक्षा देकर उत्तीर्ण होने के उपरान्त अपनी सेमेस्टर में फेर ले सके हैं।

(v) सेमेस्टर AAKT Exam Odd/Even (सम/विषम) पैटर्न पर आयोजित होगा अर्थात् प्रथम, तृतीय एवं पंचम सेमेस्टर AAKT की अगले प्रथम, तृतीय या पंचम सेमेस्टर के साथ एवं द्वितीय, चतुर्थ तथा षष्ठम सेमेस्टर का AAKT की अगले द्वितीय, चतुर्थ एवं षष्ठम के साथ होगा।

(vi) किसी विद्यार्थी को सेमेस्टर के सभी विषय/कोर्स में प्रोपेड के लिये न्यूनतम 40% अंक अर्जित करना अनिवार्य होगा। जो कि बाध्य परीक्षा (मुख्य परीक्षा) तथा आंतरिक मूल्यांकन के कुल योग (संयुक्त) मिलाकर 40% अंक होना चाहिये।

(vii) यदि कोई छात्र आंतरिक मूल्यांकन/असाइनमेंट में अनुपस्थित है तो प्रोपेड के कॉलम में "AB" अनुपस्थित लिखा जाएगा।

(viii) Grace Mark (कृपोलीबि अंड) विश्वविद्यालय के नियमानुसार लागू होगा।

(ix) सेमेस्टर परीक्षा में बाध्य परीक्षा 80% तथा आंतरिक मूल्यांकन 20% अंक पर आयोजित होगा जिसमें आंतरिक परीक्षा मूल्यांकन (T-1 एवं T-2) के रूप में होगा।

(x) यदि कोई छात्र प्रथम एवं द्वितीय दोनों सेमेस्टर में अनुत्तीर्ण होगा तो उसे नीचे

सेमेस्टर में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। वह आगे सब में पूर्व छात्र (भूतपूर्व) के रूप में प्रथम एवं द्वितीय सेमेस्टर की परीक्षा में सम्मिलित होगा। (यदि किसी विद्यार्थी का प्रथम एवं द्वितीय सेमेस्टर में दो से अधिक Backlog Paper होंगे)

(xi) यदि कोई छात्र/छात्रा स्नातक के प्रथम दो सेमेस्टर (I & II) पूर्ण करने में विफल रहता है तो NEP 2020 के नियमानुसार विद्यार्थी को मांग पर महाविद्यालय के स्कीमिंग के पर्याय विश्वविद्यालय द्वारा स्नातक सर्तिफिकेट प्रदान किया जावेगा जिसे लिए उसे आवश्यक 48 क्रेडिट अर्जित करना होगा। वही उसी प्रकार यदि वह लगातार चार सेमेस्टर (I से IV) पूर्ण करता है तो छात्र के मांग पर आस्था पर विश्वविद्यालय द्वारा स्नातक डिप्लोमा की पात्रता होगी तथा तीन वर्षीय (I & IV) कार्यक्रम पूर्ण करने पर स्नातक डिग्री प्रदान किया जाएगा उपरोक्त नियम Multiple Exit & Multiple Entry के अन्तर्गत है तथा NEP 2020 के नियमानुसार है।

मानव सेमेस्टर अर्थात् चौथे वर्ष में प्रवेश के लिये वही छात्र/छात्रा पात्र होंगे जिनका तीन वर्ष का औसत (CPA 7.5 या इससे अधिक) होगा जो ऐसे विद्यार्थी को आठ सेमेस्टर सफलतापूर्वक पूर्ण करने पर Honorary डिग्री या रिसर्च डिग्री की पात्रता होगी।

(xii) छठे सेमेस्टर तक, छात्र ATKT को आगे बढ़ा सकता है यदि वह क्रमशः प्रत्येक सेमेस्टर में अधिकतम एक या दो विषय/कोर्स में ATKT आता है तो बिना कृपा (ii), (iii) एवं (iv) के अतः वह छठे सेमेस्टर की परीक्षा में शामिल हो सकता है, उचित परिणाम लब्ध तक शोध दिया जायेगा जब तक कि वह पिछले सेमेस्टर अर्थात् (प्रथम से पाँच) की सभी परीक्षाओं को पार नहीं करता।

जब वह पिछले सभी सेमेस्टर परीक्षाओं को कोर्सेपाय वा लेंस ए, अन्तिम परिणाम की घोषणा की गरीब को एनालु डिग्री पास करने की गरीब उ रूप में माना जायेगा।

25) परीक्षा मूल्यांकन Rules & Regulations हेमन्ट भास्व विश्वविद्यालय की के डाव जारी Exam Ordinance का पूर्णतः धारण किया जायेगा।

26) दिनांक 26.07.2022 को आयोजित किये समिति की बैठक में निर्णय लिए गये उनका शाली निम्न डाव अनुसूचित कुट्टे आश्रित संशोधन ले लायक कले का निर्णय लिया गया जो निम्न है -

1) सत्र 2019-20 से परीक्षा शुल्क में डिली प्रका की केबि छह नही की गई थी वर्तमान परिदृश्य को देखते हुये पूर्व परीक्षा शुल्क में 150 = 10 (एड लो क्व्यास रुपये) में आश्रित करके का निर्णय लिया गया है जो निम्नानुसार है -

उद्योग	पूर्व का शुल्क	वर्तमान शुल्क
बी. ए. सी - 2, 3 (वार्षिक)	930 = 100	1080 = 10
बी. ए. सी - 1 (सेमेस्टर)	-	1080 = 10
बी. कॉम - 2, 3 (वार्षिक)	880 = 10	1080 = 10
बी. कॉम - 1 (सेमेस्टर)	-	1080 = 10
बी. ए. 2, 3 (वार्षिक)	930 = 10	1080 = 10
बी. ए. 1 (सेमेस्टर)	-	1080 = 10
बी. ए. सी. ए. - 2, 3 (वार्षिक)	1480 = 10	1630 = 10
बी. ए. सी. ए. - 1 (सेमेस्टर) (प्रति सेमेस्टर)	-	1630 = 10
M.Sc. (Computer Science को एडोशन)	930	1080 = 10

M.A. (Geography)	930 = ₹	1080 = ₹
M.A / M. Com.	880 = ₹	1030 = ₹
M.S.W	1080 = ₹	1230 = ₹
M.Sc. Computer Science	1280 = ₹	1430 = ₹
DCA/PGDCA/Tally/Yoga	1080 = ₹	1230 = ₹

- नोट
- (a) स्नातक (B.A.) में अगोल विषय विद्यार्थी हेतु 50/- (पचास ₹) अनिश्चित शुल्क देय होगा।
 - (b) PG के कक्षा में किसी विषय में यदि प्रोजेक्ट का प्रावधान है उसके परीक्षा शुल्क में 200/- (दो सौ रुपये) अनिश्चित शुल्क देय होगा।
 - (c) सभी Add-on-course की परीक्षा शुल्क में 250/- (दो सौ रुपये) निर्धारित किया गया है।

(ii) स्नातक तथा स्नातकोत्तर के लिये विधेय शुल्क निर्धारित अंतिम तिथि से आगामी एउ सप्ताह तक 200 = ₹ (दो सौ रुपये) तथा इसके पश्चात् 580 = ₹ (पाँच सौ रुपये) प्रति दिवस होगा।

(iii) पूरक तथा MTK का परीक्षा शुल्क 650 = ₹ रुपये से 750 = ₹ (सात सौ पचास रुपये) करने का निर्णय लिया गया। प्रोब्लेजमल इवांसी शुल्क 100 = ₹ (सौ रुपये) होगा।

(iv) Duplicate Admit Card का शुल्क 20 = ₹ (बीस रुपये) तथा Duplicate Marksheet का शुल्क पूर्ववत् की तरह 200 = ₹ (दो सौ रुपये) ही रहेगा।

(v) परीक्षा के गोपनीय कार्य से बाहर जाते (स्वामी परीक्षा नियंत्रक या अन्य सदस्य) पर प्राचार्य की अनुमति से डिवाय का वाहन कले की अनुमति को गरी। वाहन पर स्थानीय व पर मा-भ होगा।

(vi) External Examiner तथा अन्य कार्य के लिये
 बाहर से आगे वाले पाठ्यापकों के T.A.
 तथा D.A. (शासन द्वारा लागू पर 1 अप्रैल 2012
 के अनुसार T.A. 10 रु प्रति किलोमीटर स्वयं
 के वाहन से तथा टैप्य करने पर 12 रु प्रति या
 14 रु प्रति किलोमीटर - नियम क्र० 10 के अनुसार)
 तथा होटल में ठहरने पर होटल डिपॉजिट
 शासन ही पर पर भ्रम होगा। उपरोक्त सभी
 पर शासन के नियमानुसार है। एम्सी हेतु पूर्व-
 अनुमान आवश्यक है।

(vii) स्नातकोत्तर (सभी सेमेस्टर) सत्र 2016-17 से
 परीक्षा प्रश्न पत्र की प्रारूप में परिवर्तन किया
 गया है प्रश्न पत्र तीन खण्डों में विभाजित होगा।
 वर्ष 2022-23 से स्नातक प्रथम वर्ष (प्रथम
 एवं द्वितीय सेमेस्टर) में परीक्षा प्रश्न पत्र
 दो खण्डों में विभाजित होगा तथा स्नातक
 (वाचिठ) प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय वर्ष प्रश्न
 पत्र सत्र 2016-17 के परिवर्तन के अनुरूप रहेगा।
 प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय वर्ष एवं डिप्लोमा
 पाठ्यक्रम परीक्षा प्रश्न पत्र सेटिंग का पारिभाषिक
 900 = रु (नौ सौ रुपये) एवं डिप्लोमा पाठ्यक्रम परीक्षा
 प्रश्न पत्र सेटिंग का पारिभाषिक 900 = रु (नौ सौ
 रुपये) एवं स्नातकोत्तर सेमेस्टर परीक्षा प्रश्न
 पत्र सेटिंग का पारिभाषिक 1800 = रु (एक हजार
 आठ सौ रुपये) तथा प्रिंसिपलस चार्ज 200 = रु
 (दो सौ रुपये) जो प्रश्न पत्र सेट रहेगा।

(viii) परीक्षा अवरशीट मूल्यांकन स्नातक स्तर हेतु
 15 = रु (पंद्रह रुपये) तथा स्नातकोत्तर स्तर पर
 25 = रु (पच्चीस रुपये) प्रति शीट निर्धारित किया गया
 है। मूल्यांकन की अनुरूप राशि स्नातक स्तर पर
 100 = रु (सौ रुपये) एवं स्नातकोत्तर स्तर पर
 200 = रु (दो सौ रुपये) जो प्रश्न पत्र प्रकार पर
 निर्धारित किया गया है।
 मास्ट्रिड परीक्षा (प्रामेणिक) की मूल्यांकन

शांति (पारिष्कारिता) स्नातक स्नातक पाठ 12=५० (बाराह रूपये) प्रति परीक्षाधी/प्रति कॉपी एवं स्नातकोत्तर स्नातक पाठ 15=५० (पन्द्रह रूपये) प्रति परीक्षाधी/प्रति कॉपी नया न्यूनतम स्नातक/स्नातकोत्तर के लिए पाँच सौ रूपये (500=००) निर्धारित किया गया है। PG प्रोजेक्ट मूल्यांकन एवं मासिक परीक्षा पारिष्कारिता 120=५० (एक सौ बीस रूपये) प्रति प्रोजेक्ट निर्धारित किया गया है। यह शांति आध्य एवं डॉक्टरेट परीक्षा दोनों पर लागू होंगे।

(ix) 500=५० (पाँच सौ रूपये) तक की मूल्यांकन शांति में कोई भी नहीं होगा तथा 500=५० (पाँच सौ रूपये) से अधिक की शांति पर 3% (तीन प्रतिशत) TDS करणी प्रक्रिया शुल्क के रूप में करा जायेगा। बीएस का भूगणन चेड। आन्वर्षिक द्वारा भूगणन किया जायेगा। पूरक एवं पुनर्मूल्यांकन/पुनर्गणन का पारिष्कारिता कम होने पर गणक भूगणन किया जा सकता है।

(x) 500=५० (पाँच सौ रूपये) प्रति विभाग वार्षिक प्रतिवेदन (प्रिंटींग + बाइंडिंग) पर व्यय हेतु शांति दिया जाना अनिवार्य है। 500=५० (पाँच सौ रूपये) से अधिक व्यय होने की स्थिति में अनिवार्य व्यय हेतु प्राचार्य की प्रवृत्त मात्र आवश्यक है।

(xi) सत्र 2022-23 हेतु 10 (दस) Minor Research Project (लघु शोध प्रयोजना) हेतु प्रत्येक को 50,000=५० (पचास हजार रूपये) निर्धारित किया गया है। इस हेतु निर्धारित प्रारूप में प्रयोजन देने पर विशेषज्ञ समिति द्वारा चयन ~~कर~~ पर्य्याप्त MRP को चयन किया जायेगा, यह प्रोजेक्ट व्यस्तित्व या संयुक्त रूप से किया जा सकता है। विशेष परिस्थिति में अकादमिक स्वशासी निष्ठा की

स्वीडिश। अनुशंसा पर विशेषज्ञ के रिपोर्ट के आधार पर मद बढ़ाया/घटाया जा सकता है। उक्त शक्ति का लय उद्देश्य विचारित मदों में दिया जाना सुनिश्चित करेंगे।

(XII) दिग्विजय व्याख्यालय हेतु प्रत्येक विभाग के लिये 50000 = ₹ (पाँच हजार रुपये) के तै की अनुशंसा की गई है। यह शक्ति केवल व्याख्यालय तथा बाहरी विशेषज्ञ के TADA के लिये है।

(XIII) रिपब्लिक सिन्ड (रिपब्लिक फंड) के प्रकाशन का लय स्वशासी विभाग से कले का निर्णय किया गया है प्रकाशन लय निविदा पर आधारित होगा। प्रकाशन स्वशासी विभाग के लिये 1,80,000 = ₹ (एक लाख असी हजार रुपये) की शक्ति स्वीडिश की गई है। निविदा अनुशंसा अनुपातिक तथा शासी विभाग के स्वीडिश/अनुशंसा पर शक्ति घटाया या बढ़ाया जा सकता है।

(XIV) स्वशासी परीक्षा विभाग का मुख्य/प्रमुख उपाध्यक्ष, अति सुची, परीक्षा संबंधी सभी प्रश्नों के लिये स्टेनोग्राफी, टेलीफोन बिल, बिजली बिल, अध्ययन मंडल (Board of Studies) विभाग द्वारा आयोजित समस्त बैठकों की TADA गोपनीय कार्य लय, सफाई सेवा, प्रिंटर, डिटी रजिस्ट्रार विश्वविद्यालय, प्राचार्य तथा नियंत्रक अंकुशों में धनांक (2 = ₹ दो रुपये प्रति अति सुची) आदि सभी लय आवश्यकानुसार हरेक शासन प्रयुक्त नियमानुसार दिये जायेंगे।

(XV) सत्र 2022-23 हेतु 10 (दस) राष्ट्रीय सेमीनार आयोजित करना प्रस्तावित है प्रत्येक पर अधिकतम 50,000 = ₹ (पचास हजार रुपये) तक शक्ति लय स्वशासी परीक्षा मद से लय करने की

अनुशासना की गई। साथ ही उ लीन अन्तर्राष्ट्रीय
समीक्षा कराया जाना प्रस्तावित है प्रयत्न के लिए
1,00,000 = १० (एक लाख रुपये) अधिकतम स्वीकृति
अब से प्रस्तावित है।

यदि कौन विभाग आनलाईन / ऑनलाइन
मोड में वेबिना (राष्ट्रीय / अन्तर्राष्ट्रीय) स्तर पर
कराना चाहता है तो इस हेतु राष्ट्रीय वेबिना
के लिए अधिकतम 50000 = ५ (पाँच हजार रुपये)
तथा अन्तर्राष्ट्रीय वेबिना के लिए अधिकतम
100000 = १० (दस हजार रुपये) प्रदान करने की अनुशासना
की गई।

(Xvi) सत्र 2022-23 हेतु उ कार्यशाला (राष्ट्रीय स्तर)
पर कराया जाना प्रस्तावित है प्रयत्न के लिए
50,000 = ५ (पचास हजार रुपये) अधिकतम व्यय
निर्धारित किया गया। वर्चुअल कार्यशाला हेतु
10,000 = १० (दस हजार रुपये) व्यय की अनुशासना
की गई।

(Xvii) महाविद्यालय के अध्यापी विचारियों, शिक्षारियों को
विशेष प्रोत्साहन देने हेतु नगद / पत्र / प्रमाण पत्र
आदि से प्रोत्साहित करने की अनुशासना की गई है
शिक्षारियों को दखन राज्य ही टीम का
प्रतिनिधित्व राष्ट्रीय स्तर पर करने पर उन्हें नगद
30000 = ३० (तीन हजार रुपये) एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर
पर करने पर 100000 = १० (दस हजार रुपये) की-
राशि की जायेगी।

(Xviii) विगत वर्षानुसार सांस्कृतिक गतिविधियों में
विचारियों की सहभागिता को बढ़ावा देने हेतु
स्वराष्ट्रीय विभाग से प्रोत्साहन शरि प्रथम विजेता
को 10000 = १० (एक लाख रुपये) द्वितीय विजेता को
5000 = ५ (पाँच हजार रुपये) तृतीय विजेता को
3000 = ३ (तीन हजार रुपये) शरि प्रदान करने की
अनुशासना की गई।

रिपोर्ट जमा कते पर ही आपकी शशि समायोजित की जावेगी।

(XXVI) महिला प्रेक्लब की वार्षिक गतिविधि हेतु 5,000 = ₹ (पाँच हजार रुपये) स्वीकृत कते की अनुमति की गई।

(XXVII) ECO-Club को वार्षिक गतिविधि हेतु 10,000 = ₹ (दस हजार रुपये) स्वीकृत कते की अनुमति की गई।

(XXVIII) विज्ञान फेडरेशन एवं सांस्कृतिक गतिविधि के लिए पाँच-पाँच हजार रुपये स्वीकृत कते की अनुमति की गई।

(XXIX) Literary Club को वार्षिक गतिविधि हेतु 2,000 = ₹ (दो हजार रुपये) स्वीकृत कते की अनुमति की गई।

(XXX) सत्र 2019-20 से Re-valuation fees 200 = ₹ (दो सौ रुपये) तथा Retotalling fees 100 = ₹ (एक सौ रुपये) तथा उन पुस्तिकाओं की फोटो कॉपी कते पर 350 = ₹ (तीन सौ पचास रुपये) प्रति उन पुस्तिका निर्धारित की गई है Re-valuation fees 620 = ₹ (छह सौ बीस रुपये) प्रति उन (पुस्तिका) निर्धारित कि गई थी यह निर्धारण सत्र 2022-23 में भी प्रभावशील रखें का निर्णय लिया गया है।

(XXXI) Revaluation कार्य हेतु संयोजक को प्रति Faculty (कल, विज्ञान, कामर्स) 1000 = ₹ (एक हजार रुपये) का शशि मानदेय दिये जाने का निर्णय लिया गया है।

(XXXII) स्वशासी परिषद विभाग द्वारा आयोजित बैंक में शामिल प्रत्येक छात्री स्वयंसेवा (विश्वविद्यालय) क्लबिंग (शासन) द्वारा आयोजित) को 1500 = ₹ (एक हजार पाँच सौ रुपये) मानदेय स्वीकृत किया गया है।

(XXXiii) परीक्षा गोपनीय कार्य से बाहर जाने पर नियंत्रक उपनिष्पक्ष एवं सहायक नियंत्रक को 500 = ०० (पाँच सौ रुपये) की शक्ति रिहा फ्लॉयड (जोखिम मन्ना) के रूप में स्वीकृत किया गया है।

(XXXiv) वित्त समिति के सहाय को वित्त समिति के बैठक में सम्मिलित होने पर 500 = ०० (पाँच सौ रुपये) सम्मान शक्ति प्रदाय कर्तव्य का निर्णय लिया गया है।

(XXXv) स्वशासी परीक्षा प्रकोष्ठ द्वारा आयोजित Minor Research Project के External Evaluation के लिए External Examiner का परिवारिक और प्रोजेक्ट 1,000 = ०० (एक हजार रुपये) की मानदेय शक्ति स्वीकृत किया गया है।

(XXXvi) महाविद्यालय के सभी 18 स्नातकोत्तर विभाग को मूल्यवर्धित पाठ्यक्रम (Value added certificate course) एवं 2022-23 में कराया जाना है जिस हेतु प्रत्येक मूल्यवर्धित पाठ्यक्रम के लिए 10,000 = ०० (दस हजार रुपये) की शक्ति स्वीकृत किया गया है।

(XXXvii) IQAC की नियमित गतिविधि के लिए एवं 2022-23 हेतु 50,000 = ०० (पचास हजार रुपये) स्वीकृत कर्तव्य का निर्णय लिया गया है।

(XXXviii) गोपनीय कार्य हेतु विश्वविद्यालय या अन्य स्थान पर जाते हेतु प्रतिदिन 1000 = ०० (एक सौ रुपये) जोखिम मन्ना शालकारी नियमावली दिये जाते का निर्णय लिया गया है।

(XXXix) डिप्टी सी विभाग द्वारा विभाग के समस्त Research Paper को Edited book के रूप में publish (proceeding) कर्तव्य हेतु अधिकतम 20,000 = ०० (बीस हजार रुपये) प्रदाय कर्तव्य का निर्णय लिया गया है।

- (27) सत्र 2022-23 हेतु वास्तविक एवं अनुमानित व्यय की अनुमोदन किया गया। -
 उपरोक्त सभी व्ययों में -
 (i) छद्मगत क्रय नियम का पालन अनिवार्य है।
 (ii) राशि आबरण के पूर्व प्राप्ति की अनुमति अनिवार्य है।

- (28) स्वशासी परीक्षा विभाग परीणाम 2021-22 की सुमरीशा एवं सुझाव दिया गया तथा एनालिसिस की परीक्षा परीणाम की सुमरीशा का सुझाव दिया गया तथा एनालिसिस से स्वशासी परीक्षा 2021-22 परीणाम की सुमरीशा एवं अनुमोदन किया गया।

- (29) अध्यक्षा की अनुमति से निम्न विस्तारों पर सुझाव चर्चा की गई जो निम्न हैं -
 (i) महाविद्यालय में कॉन्फ्रेंस हॉल निर्माण हेतु लागत में बार्ड राशि के सम्बन्ध में -
 शासकीय विभिन्न महाविद्यालय राजनांदगांव की स्वशासी विभाग की वित्त समिति की बैठक दिनांक 15/09/2016 के विस्तार क्रमांक (18) द्वारा, महाविद्यालय में (सेमिनार हॉल (फर्नीचर एवं उपकरण उपलब्ध) निर्माण हेतु 35,00,000 = ₹ (पैंतीस लाख रुपये) की राशि व्यय करने की अनुमति की गई थी जिसके निर्माण कार्य को नया पब्लिक निगम राजनांदगांव को देने के पश्चात् जब निर्माण का अंतिम इस्टीमेट बनाया गया तो कुल लागत लगभग 48,50,000 = ₹ (अड़तालीस लाख रुपये) दिया गया जिसके उपलब्ध निर्माण हेतु ही डिपॉजिट में 37,10,000 = ₹ (पैंतीस लाख पचास हजार रुपये) अंतिम रूप से स्वीकृत किया गया।

परन्तु ~~क्योंकि~~ उपरोक्त राशि की निर्माण कार्य हेतु राशि कम पड़ी के कारण वित्त समिति की बैठक दिनांक 16.03.2019

के विन्दु क्रमांक (02) के परिपालन में वही डूबे शक्ति को स्वीकार करने की अनुमति की गई थी। नूती कोरोना काल के दौरान निर्माण कार्य पूरी तरह बंद रहने के कारण वर्तमान में निर्माण के कारण उक्त निर्माण हेतु लगभग 50,00,000 = 50 (पचास लाख रुपये) की शक्ति और आवंटन है। वही डूबे शक्ति को स्वीकार नगए पालिसि निम्न राजनांदगाँव द्वारा विलून नई Estimate प्राप्त होने के पश्चात् शक्ति को स्वीकार करने की अनुमति की गयी है।

• (ii) महाविद्यालय में कौशल गतिविधियों को और बेहतर ढंग के लिए महाविद्यालय हेतु Plagiarism Software क्रय किये हेतु 2,00,000 = 20 (दो लाख रुपये) की अनुमति स्वीकार करने की अनुमति की गयी है। उक्त Software का क्रय निविदा के माध्यम से होगा। शक्ति के क्रय या अधिउ होने की स्थिति में प्रत्येक की अनुमति आवंटन होगी।

बैठक

दिनांक

8/12/2022

गणप दिनांक 8/12/2022 को स्वशासी परीक्षा
युगोत्तर की शासी निकाय की बैठक
ON LINE कंप्यूटर विभाग में बैठक
रखी गयी है जिसमें निम्न सहाय्य उपस्थित
रहे।

- 1) डॉ. कांजना ठाकुर - Amey
- 2) श्रीमती शारदा सिपाही - Virtual Present.
- 3) डॉ. हेमंत साठे H. Saath
- 4) श्री गोकुल मिश्रा - Gokul
- 5) डॉ. एन.के. उके -

निम्न सहाय्य ON LINE पड्डे रहे।

- 1) डॉ. मृदला कर्पोरिया - Virtual Present.
- 2) डॉ. एच. मोहंते - Virtual Present.
- 3) डॉ. आर. एन. सिंह - Virtual Present.

शासी निकाय की बैठक में महाविद्यालय के प्राचार्य
डॉ. के. एल. शर्मा द्वारा सभी आतिथियों का स्वागत
किया गया तथा प्रचार विभाग वर्ष के परिपालन रिपोर्ट
का अनुमोदन कराया गया तथा सभी रिपोर्ट का
अनुमोदन कराया गया तथा सभी सदस्यों को इस वर्ष
एच 2022-23 में स्नातक प्रथम वर्ष में (CBCS/LOCF
/ NEP 2020 के संबंध में जानकारी) प्राप्त करने वाले कवि